14

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2019-20)' पर समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

चौदहवां प्रतिवेदन

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली

*फरवरी, 2021/*माघ, *1942 (*शक)

चौदहवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2019-20)' पर समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

08.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

08.02.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली

*फरवरी, 2021/*माघ, *1942 (*शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iv)
अध्याय एक	प्रतिवेदन.....	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	23
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....	46
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	47
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है.....	57

अनुबंध

एक.	समिति की 16 अक्टूबर 2020 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	58
दो.	दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	59

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. श्री निशीथ प्रामाणिक
13. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
14. डॉ. जी रणजीत रेड्डी

*15. श्री जयदेव गल्ला

16. श्री संजय सेठ
17. श्री चंदन सिंह
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
20. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

#21. श्रीमती सुमलता अम्बरीश

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल

23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी
25. श्री शक्तिसिंह गोहिल
26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मो. नदीमुल हक
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. डॉ. नरेन्द्र जाधव
31. श्री नबाम रेबिआ

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वाई. एम. कांडपाल - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक
3. श्रीमती रिंकी सिंह - सहायक कार्यकारी अधिकारी

---

* समाचार भाग - दो दिनांक 15.10.2020 के तहत 15.10.2020 से समिति में नामनिर्देशित

समाचार भाग - दो दिनांक 28.12.2020 के तहत 28.12.2020 से समिति में नामनिर्देशित

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' पर समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. 10 दिसंबर, 2019 को लोक सभा में दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्यसभा के पटल पर भी रखा गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 9 मार्च, 2020 को दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपना की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत किया।

3. समिति की 16 अक्टूबर, 2020 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकार किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय- एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

1. समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली; **डॉ. शशि थरूर,**
04 फरवरी, 2021 **सभापति,**
15 माघ, 1942 (शक) **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**

अध्याय एक

प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' पर समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

2. दूसरा प्रतिवेदन 10 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें 20 टिप्पणियां/सिफारिशें थीं। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशें के संबंध में उत्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त हो गये हैं और इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:-

(एक) टिप्पणियांसिफारिशें जिन्हें/ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश क्रम सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19 और 20

कुलः 14

अध्याय- दो

(दो) टिप्पणियांसिफारिशें जिनके/ संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती-

सिफारिश क्रम सं. शून्य

कुलः शून्य

अध्याय- तीन

(तीन) टिप्पणियां सिफारिशें/जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश क्रम सं.: 8, 11, 12, 13, 14 और 16

कुलः 06

अध्याय- चार

(चार) टिप्पणियांसिफारिशें जिनके/ संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं-:

सिफारिश क्रम सं.: शून्य

कुलः शून्य

अध्याय- पांच

3. **समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यंत महत्व दिया जायेगा। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण का विवरण और प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।**

4. समिति अब अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार विमर्श करेगी।

<u>प्रसार भारती/डीडी किसान चैनल</u>

(सिफारिश क्रम सं. 4 और 5)

5. समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) संबंधी अपने प्रतिवेदन में यह नोट कर अप्रसन्नता व्यक्त की थी कि 2017-18 और 2018-19 में डीडी किसान चैनल की विषय सामग्री के लिए 63 करोड़ रूपए और 45.16 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जो संघटाकर क्रमशः में .अ. 46.58 करोड़ रूपए और 34.51 करोड़ रूपए कर दिये गए जिसमे से केवल क्रमश: 74% और 56% का ही उपयोग किया गया। तथापि, कार्यक्रमों के इन-हाउस उत्पादन के लिए निर्णय लिया गया था, डीडी किसान के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी और परिणामत: कई यात्रा आधारित कार्यक्रमों का निर्माण नहीं किया जा सका और रियलिटी शो को टाल दिया गया। इसके अतिरिक्त, रियलिटी शो "महिला किसान पुरस्कार" को अंतिम रूप देने में लॉजिस्टिक मुद्दे, कई केन्द्रों के कार्यक्रम विंग में स्टाफ की कमी, कलाकारों, निर्माताओं, नैमित्तिक व्यक्तियों, संसाधन व्यक्ति आदि हेतु अपर्याप्त निर्धारित शुल्क जिसमें डीडी किसान के लिए किसी कार्यक्रम के निर्माण में प्रतिभागियों को संलग्न करने में समस्या आदि कारण बताए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्रालय में योजना और समन्वय इष्टतम नहीं था और उसमे अपेक्षित सुधार की आवश्यकता थी, समिति ने आशा व्यक्त की थी कि प्रसार भारती अपने पिछले अनुभव से सीखेगी और डीडी किसान के लिए 2019-20 के दौरान

आवंटित 29.72 करोड़ रुपये की धनराशि का अधिकतम उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपाय करेगी और सिफारिश की कि डीडी किसान में कार्यक्रमों का इन-हाउस उत्पादन उपलब्ध जनशक्ति के अनुरूप होना चाहिए।

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"(i) डीडी किसान आंतरिक स्तर पर सामग्री विकसित करने के अलावा स्व-म के माध्यम से सामग्री प्राप्तस्की की (एसएफसी) वित्तपोषित कमीशनिंग करता है। स्वीकृत बजट का अधिकतर भाग एसएफसी कार्यक्रमों के लिए म में खामियां उपयोग किया जाता है। कम बजट उपयोग की समीक्षा से स्की सामने आईं , जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी हुई जिसके कारण भुगतान रूक गए, क्योंकि मामले न्यायाधीन थे।

(ii) इस बीच, प्रसार भारती ने समीक्षा करने पर, प्राप्त अनुभवों पर आधारित कमियों को दूर करने के लिए हाल ही में नवंबर)2019 में प्रसार भारती बोर्ड की 158वीं बैठकस (ीकीमदिशानिर्देशों में संशोधन किया। अब / म लागू की गई है।संशोधित स्की

(iii) आंतरिक स्तर पर निर्माण के संबंध में, 2018-19 और 2019-20 में दूरदर्शन के सभी केंद्रों के सहयोग से सफरनामा आधारित कार्यक्रमों के-200 से अधिक एपिसोड तैयार किए गए थे। रियलिटी शो "महिला किसान अवार्ड" वित्त वर्ष 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया और प्रसारित किया गया। चूंकि यह भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला महिला किसानों के साथ डीडी किसान का पहला रियल्टी आधारित कार्यक्रम था , इसलिए योजना और निर्माण में बहुत विस्तार से कार्य करने आवश्यकता थी। निर्माण कार्य नौ महीने तक चले। प्रत्येक एक घंटे के पचपन कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया गया।

(iv) 13 करोड़ रुपये का व्यय पहले ही किया जा चुका है, यह आशा है कि डीडी किसान के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष के अंत तक खर्च किए जाएंगे।"

7. समिति को सूचित किया गया है कि अपनी संस्था में ही विषयवस्तु तैयार --करने और स्वीकृत बजट के अधिकांश भाग का उपयोग करने के अलावा स्व एसएफसी) वित्तपोषित कमीशनिंग) योजना के माध्यम से प्राप्त डीडी किसान स्रोत विषयवस्तु का उपयोग एसएफसी- कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। बजट के अल्प उपयोग की समीक्षा से एसएफसी योजना में कमियों का पता चला, जिसके कारण मुकदमेबाजी हुई और उसके परिणामस्वरूप भुगतान रोक दिए गए क्योंकि मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। समिति इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि इसी बीच प्रसार भारती ने समीक्षा के बाद योजनादिशानिर्देशों में संशोधन किया जिन्हें / अब लागू कर दिया गया है। समिति को पुरानी एसएफसी योजना की तुलना में संशोधित योजना से अवगत कराया दिशानिर्देशों में शामिल महत्वपूर्ण विशेषताओं/ जाए।

8. आंतरिक निर्माण के संबंध में, समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान दूरदर्शन के सभी केंद्रों के सहयोग से यात्रावृत्तांत आधारित - कार्यक्रमों के200 से अधिक एपिसोड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, डीडीकिसान - ने2019-20 के दौरान आवंटित 29.72 करोड़ रुपये में से 13 करोड़ रुपये व्यय किए हैं और 31 मार्च तक करोड़ रुपये व्यय किए जाने की संभावना है। समिति को 20 2017-18 और 2018-19 में संशोधित प्राक्कलनों के स्तर पर डीडी किसान के लिए बजटीय आवंटन की तुलना में यह स्थिति बहुत सुखद नहीं लगती है जो क्रमशः 46.58 करोड़ रुपये और 34.51 करोड़ रुपये था। समिति आशा व्यक्त करती है कि 2018-19 के दौरान डीडीकिसान जिन समस्याओं की वजह से निधियों का पूरा - जैसे कि डीडी किसान के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए ,उपयोग नहीं कर पाया विंग में कर कई केन्द्रों में प्रोग्राम्मचारियों की कमी की समस्या ,कलाकारों , विशेषज्ञों आदि के लिए निर्धारित की गई अपर्याप्त ,अस्थायी कर्मचारियों ,निर्माताओं शुल्क संरचना आदि समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आने वाले वर्षों में

आवंटित धन का इष्टतम उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष और 19-2018 वृत्तांत आधारित कार्यक्रमों के-के दौरान निर्मित यात्रा 20-2019200 एपिसोड के संबंध में समिति को वास्तविक रूप में प्रसारित किए गए कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए।

पूंजीगत आस्तियां (डीडी किसान चैनल सहित)

(सिफारिश क्रम सं. 6)

9. समिति ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, पूंजीगत आस्तियों स्तर पर .अ.के सृजन हेतु अनुदानों के संबंध में ब (किसान चैनल सहित) इसके लिए क्रमशः 213 करोड़ रूतथा . 141.50 करोड़ रूका प्रावधान किया गया ., तथापि जिसे संस्तर पर घटाकर क्रमशः .अ. 118.34 करोड़ तथा 112.17 करोड़ रू . कर दिया गया और जिसमें से क्रमशः केवल 52.02 करोड़ रू) .44 प्रतिशततथा (80.80 करोड़)71 प्रतिशतप्रसार /का ही उपयोग किया जा सका। समिति मंत्रालय (भारती द्वारा उनकी परियोजनाओं जैसे स्वीकृति देने की प्रक्रिया के समय जीएसटी धित मुद्दोसंबं, कुछ परियोजनाओं में डब्ल्यूपीसी अनापत्ति प्राप्त करने में देरी, पर्याप्त बोलीप्राप्ति के कारण कुछ अर्थ स्टेशन -बोलीकर्ताओं के प्रश्नों की गैर/ परियोजनाओं के लिए निविदा जारी करने की तिथि को बढ़ाने में देरी और कुछ णों की आपूपरियोजनाओं में फर्मों द्वारा उपकरर्ति में देरी आदि के संबंध में प्रायः बारबार दिए गए बहानों से संतुष्ट नहीं है। समिति का विचार है कि ये - अवसंरचनात्मक परियोजनाएं पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निष्पादन को सुनिश्चित करने तथा देश के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने का तंत्र है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय को अपने कार्यान्वयन को गंभीरता से लेना चाहिए जिससे कि अनुमानित देरी को कम करने हेतु समयपूर्व सुधारात्मक उपाय किए जा - सके। संशोधित अनुमान स्तर पर डीडी पूंजीगत आस्तियां (किसान चैनल सहित) के सृजन के लिए हर साल बजटीय आवंटन को कम करने के तरीके और वास्तविक व्यय भी कम था, को गंभीरता से लेते हुए समिति ने मंत्रालय से प्रत्याशित देरी के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय करके अपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जो

सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निष्पादन को सुनिश्चित करने और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में सहायक है, के कार्यान्वयन पर गंभीरता से विचार करने की इच्छा जताई थी।

10. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "जहां पूंजीगत परिसंपत्तियों का संबंध है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रसार भारती द्वारा प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर नियमित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है। खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। परियोजना समीक्षा बैठकें जोनल स्तर, मुख्यालय स्तर और प्रसार भारती सचिवालय स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। पूंजीगत उपकरणों की खरीद और कार्यों के निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों का उन लक्ष्यों और उपलब्धियों के तहत सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है जो प्रबंधन द्वारा तय किए गए हैं।
>
> समय पर उनकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूपीसी अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है। अगले साल की परियोजनाओं के लिए अग्रिम निविदा कार्रवाई भी की गई है।"

11. समिति ने नोट किया कि प्रसार भारती ने वर्ष 2017-2018 और 2018-19 के लिए सं.प्रा. स्तर पर डीडी पूंजीगत आस्तियों हेतु आबंटित निधियों का केवल 44 प्रतिशत और 71 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। की गई कार्रवाई उत्तर से, समिति ने नोट किया कि प्रसार भारती ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक देरी से बचाने के लिए संस्तुत विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए हैं, यथा प्रेधन के उच्चतर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग तंत्र को स्थापति किया गया। खरीद प्रक्रियाओं को सुचारु बनाया गया। क्षेत्रीय मुख्यालय और प्रसार भारती सचिवालय स्तरों पर नियमित रुप से परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रबंधन द्वारा नियत किए गए लक्ष्यों और प्रगति मानक हेतु पूंजीगत उपस्करों की खरीद

और कार्य-निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों की समालोचनात्मक समीक्षा की जा रही है। समय पर क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूपीसी प्राधिकारियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है और अगले वर्ष की परियोजनाओं के लिए अग्रिम निविदा कार्रवाई भी की जा चुकी है। समिति ने सुझाव दिया कि मौजूदा अभिलेखीय सामग्री और फुटेज को यूट्यूब और अन्य समान सुविधाओं पर राजस्व उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाएं।

पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए समिति इस बात पर कुछ संतुष्ट है कि प्रसार भारती ने अपनी कमियों का विश्लेषण किया है और तदनुसार उपचारात्मक उपाय किए हैं। समिति आशा करती है कि इन उपायों से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से कार्यान्वयन की गति में भी सुधार होगा। इसके साथ समिति यह जानना चाहेंगी कि इन कदमों ने वर्ष 2019-20 के दौरान डीडी पूंजीगत आस्तियों के संबंध में प्रसार भारती ने वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन को कैसे प्रभावित किया है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मुद्रीकरण करने हेतु मौजूदा अभिलेखीय सामग्री और फुटेज को यूट्यूब और इसी तरह की सुविधाओं की तरह राजस्व सृजन मोड में रखा जाए।

<u>आकाशवाणी (एआईआर)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 8)

12. अपने प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया था कि 2019-20 के दौरान, 187.40 करोड़ रूएआईआर में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु रखा गया। समिति .अ.का ब . को बताया गयाकि 'प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास' योजना को आगे 3 वर्षों)2017-20) के लिए विस्तार वित्तीय वर्ष 2018-19 के मध्य में दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 2018-19 के दौरान निधियों का कम उपयोग हुआ और इसलिए, वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटन में पिछले वर्ष की अपूर्ण परियोजनाओं को शामिल करने का भी प्रावधान है के कार्य में बड़े पैमाने पर उच्च शक्ति एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर्स -: तेजी लाना, एसआईटीसी का सर्वर्स और रेडियो स्टूडियो ऑटोमेशन, डिजिटल ऑडियो कॉलसोलस की खरीद, 5 टीवी ट्रांसमीटर्स की खरीद, 100 एम स्वसहायता टॉवरों को - लगाना, भारत.सं) नेपाल सीमा के साथ एकदम ट्रांसमीटर हेतु भवन का निर्माण-5),

47 स्टेशनों पर वीपीएन संपर्कता, बीएच दिल्ली के ऑडिटोरियम का नवीकरण और गुवाहाटी में लेखागार सुविधा का सृजन। समिति ने आशा व्यक्त की कि सूचना और प्रसारण मंत्रालयप्रसार भारती के एआईआर सेवाओं म/ेंं सुधार के लिए निश्चित समयसमेकित प्रयास करेगा। सीमा के अंदर इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु-

13. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति नीचे प्रस्तुत की गई है:

i. वर्ष 2019-20 की आवंटित धनराशि से 39 स्थानों पर मास्ट मज़बूत करने के कार्य किए जाने थे। 20 स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है और 16 अन्य स्थानों पर कार्य चल रहा है।

ii. स्टूडियो स्वचालन के लिए सर्वरों का आदेश दिया गया है। इन उपकरणों की डिलीवरी की अवधि 18 महीने है।

iii. 100 एम टावर्स की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया का कार्य विभिन्न स्थानों में लगभग अंतिम चरण में है।

iv. भारतनेपाल सीमा परियोजनाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य पूरा - कर लिया गया है।

v. ब्रॉडकास्टिंग हाउस, दिल्ली में ऑडिटोरियम का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2020 से पहले निधि को बुक किया जाएगा।"

14. समिति जिस रुप में मंत्रालय ने उनकी सिफारिश पर की गई कार्रवाई उत्तरों को प्रस्तुत किया है उससे संतुष्ट नहीं है। समिति ने नोट किया कि जिन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 के बजटीय आवंटन में प्रावधान किया गया था, उनकी स्थिति को प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि, परियोजनाओं से संबंधित प्रगति अर्थात् हाई पावर एम डब्ल्यू ट्रांसमीटरों के कार्य तथा सर्वर और रेडियो स्टूडियो ऑटोमेशन का एसआईटीसी को सुदृढ़ करने, 100 एम सेल्फ सपोर्टिंग टॉवरों को लगाने और इमारतों का निर्माण अथवा भारत-नेपाल सीमा के साथ एफ एम ट्रांसमीटर (05 संख्या) उपलब्ध करवाए जाने संबंधी डिजिटल ऑडियो कन्सोल की खरी, 5 टीवी

ट्रांसमीटरों की खरीद, 4.7 स्टेशनों पर वीपीएन कनेक्टिविटी, गुवाहाटी में अभिलेखीय सुविधा का सृजन जैसी परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस पृष्ठभूमि में, समिति उन परियोजनाओं के विषय में जानना चाहेगी जो पूरी नहीं हुई हैं और साथ ही इनकी धीमी गति से हो रही प्रगति के कारण भी जानना चाहेगी। समिति को सूचित किया गया है कि निधियों को मार्च, 2020 से पहले बुक किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, वास्तविक लक्ष्यों में कमी आने के मामले में वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का मिलान न हो पाने के कारणों से भी अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 9)

15. वित्त वर्ष 2019-20 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में एफएम रेडियो और टेलीविजन के संबंध में भौतिक कवरेज करना है। यह बताया गया कि ऑल इंडिया रेडियो के पास 495 एफएम ट्रांसमीटर्स हैं। गैरसर्किल क्षेत्रों की - पहचान कर ली गई है जिसे उपयुक्तएफएम स्टेशनों के साथ कवर किया जाएगा, विशेष रूप से यह देखते हुए कि पड़ोसी देशों के पास भी एफएम स्टेशन है जो सशक्त है और उनमें ऐसी गतिविधियां शामिल है जो भारत के लिए सहायक नहीं है। इस संबंध में, समिति देश के सीमा क्षेत्रों को कवर करने के लिए एआईआरटीवी / ट्रांसमीटर्स की स्थापना हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालयप्रसार भारती की योजना से / अवगत होनाचाहा। पर्याप्त शक्ति के ट्रांसमीटर्स की स्थापना संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में की जानी चाहिए जिससे कि पड़ोसी देशों द्वारा भारतविरोधी दुष्प्रचार का - प्रभावकारी ढंग से सामना कि्या जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए डीटीएच प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर शॉर्टवेब रेडियो ट्रांसमिशन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

16. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "आकाशवाणी के देश भर में 458 स्थानों पर 501 एफएम ट्रांसमीटर चालू हैं और वर्तमान में इसकी पहुंच देश के 54% के लगभग और देश की कुल आबादी के लगभग 64% में है। देश में एफएम स्थलीय कवरेज को और बढ़ाने

के लिए 112 अदद 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटरों सहित 143 एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन ट्रांसमीटरों के चालू होने के बाद, एफएम मोड में आकाशवाणी कवरेज देश की लगभग 74% आबादी तक बढ़ने की संभावना है। आकाशवाणी नियमित रूप से सीमा क्षेत्रों में एफएम कवरेज को मजबूत कर रहा है। 143 एफएम ट्रांसमीटरों में से भारतनेप-ाल सीमा पर 6 अदद 10 किलोवाट और एक अदद 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, भारत पाकिस्तान सीमा पर-2 अदद 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 अदद 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का कार्यान्वयन चल रहा है।

प्रसार भारती ने अपनी दिल्ली और बेंगलूरु केंद्रों में नवीनतम डीआरएम डिजिटल रेडियो तकनीक के साथ शॉर्ट वेव ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण किया है। डीआरएम डिजिटल रेडियो मोड में शॉर्ट वेव के आधुनिकीकरण की आगे की योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसे कुरसॉन्ग केंद्र में लागू किया जा रहा है, जबकि अप्रचलित एनालॉग ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।

प्रसार भारती एक विकल्प के रूप में आकाशवाणी के चैनलों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर अन्य डिजिटल माध्यमों का पता लगाया जा रहा है। वैश्विक दर्शकों के लिए प्रसार भारती वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर और एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़नएयर ऐप पर विभिन्न आकाशवाणी चैनल उपलब्ध हैं। डीडी फ्री डिश डीटीएच अवसंरचना का उपयोग करके कई रेडियो चैनल को सैटेलाइट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, अपनी फ्रीएयर डीटीएच सेवा-टू- "डीडी फ्री डिश" के माध्यम से मल्टीचैनल टीवी कवरेज के मद्देनजर-, अभी जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछेक ट्रांसमीटरों को छोड़कर, स्थलीय कवरेज के विस्तार के लिए नए ट्रांसमीटरों की परिकल्पना नहीं की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय टीवी कवरेज को मजबूत करने के लिए, जम्मूकश्मीर में -

निम्नलिखित पांच नए हाई पावर टीवी ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

एचपीटी, ग्रीन रिज
एचपीटी, हिंबोटिंगला
एचपीटी, नत्था टॉप (पटनीटॉप)
एचपीटी, राजौरी (जडीडी नेशनल और डीडी न्यू)

वर्तमान में ये एचपीटी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन की "डीडी फ्री डिश" सेवा सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में कहीं भी छोटे आकार की डिश रिसीव इकाईयों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। प्रसार भारती ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में 30,000 डीटीएच रिसीव सेट वितरित किए हैं। इसके अलावा, प्रसार भारती जम्मू और कश्मीर सहित देश में आगे वितरण के लिए 1,20,000 रिसीव सेट खरीदने की प्रक्रिया में है।"

17. **समिति को सूचित किया गया है कि आकाशवाणी के पास 501 एफएम ट्रांसमीटर हैं जिनकी पहुंच देश के लगभग 54 प्रतिशत क्षेत्र और लगभग 64 प्रतिशत जनसंख्या तक है। और भी, एफएम पार्थविक कवरेज बढ़ाने के लिए, 100 वाट के 112 एफएम ट्रांसमीटरों सहित 143 एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजनाएं देश में कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज के लिए आकाशवाणी/टीवी ट्रांसमीटरों के संस्थापन के बारे में समिति पाती है कि 143 एफएम ट्रांसमीटरों में से बहुत कम संस्थापित किया जाना प्रस्तावति हैं जिनमें से 10 केवी के 6 और 1 केवी का एक एफएम ट्रांसमीटर, भारत-नेपाल सीमा पर, 10केवी के 2 एफएम ट्रांसमीटर भारत-पाक सीमा पर और केवी 8 एफएम ट्रांसमीटर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। सीमाओं पर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को देखते हुए, यह क्षेत्र सुभेद्य हैं और इसलिए, इन्हें मजबूत करने के लिए उच्च शक्ति के एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति ने एआईआर के आकाशवाणी**

एफएम गोल्ड रेडियो प्रसारण को उनके पूर्ववर्ती प्रारुपों में बहाल करने के मंत्रालय को भी याद दिलाया।

18. समिति इस तथ्य से किंचित संतुष्ट है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पार्थविक टीवी कवरेज मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर में पांच नए उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। समिति आशान्वित है कि जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावति एचपीटी सीमा पार से टीवी पर फैलाए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार की रोकथाम में प्रभावी होंगे तथा यह कार्य विनिर्दिष्ट समय-सीमा में पूर्ण किया जाएगा। समिति चाहती है कि उसे इस बारे में हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया जाए।

<u>फिल्म क्षेत्रः</u>

<u>राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 11 और 12)

19. समिति ने नोट किया कि विगत तीन वर्षों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म विंग के संबंध में वित्तीय लक्ष्यों में कमी के अनेक कारणों में से एक कारण एनएफएचएफ योजना का कार्यान्वयन न हो पाना था। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान बक्रमशः .अ. 30 करोड़ रू., 50 करोड़ रूतथा . 57.78 करोड़ रू . स्तर पर कम करके क्रमशः .अ.रखा गया। इसे सं 16 करोड़ रू., 6.02 करोड़ और 15.00 करोड़ रूकर दिया गया और वास्तविक व्यय क्रमशः . 10.84 करोड़ रू., 6.02 करोड़ रूतथा . 10.51 करोड़ रू रहा। .पुन: 2019-20 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से संशोधित अनुमान स्तर पर 22.48 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन को घटाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। मंत्रालय के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए समिति ने इच्छा जताई थी कि मंत्रालय को गंभीरता से अपनी बजटीय कवायद शुरू करनी चाहिए तथा यह आग्रह किया कि

एनएचएफएम योजना के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए।

20. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर की सिफारिश संख्या 11 में निम्नवत बताया है:-

"एनएफएचएम स्कीम की शुरुआत में, यह मूल्यांकन किया गया था कि फिल्म रीलों की फिल्म दशा के आकलन, फिल्म रीलों के निवारक संरक्षण और फिल्म रीलों के डिजिटीकरण जैसे कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसियां 2016-17 के दौरान नियुक्त कर दी जाएंगी। तथापि, क्रियान्वयन एजेंसी 2016-17 के दौरान उचित प्रक्रिया के बाद 'फिल्म रीलों की फिल्म दशा का आकलन' के कार्य के लिए नियुक्त की जा सके, जबकि अन्य गतिविधियों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इससे संशोधित प्राक्कलन वर्ष 2016-17 के तहत आवंटित धनराशि का कम उपयोग हुआ।

2017 में पूरी स्कीम की समीक्षा के तहत रखा गया था और एनएफएचएम के तहत सभी निविदा प्रक्रियाओं को समीक्षा तक रोक दिया गया था। इसमें 'दशा मूल्यांकन' शामिल था जिसके लिए निष्पादन एजेंसी पहले से ही नियुक्त कर दी गई थी और जिसके लिए काम शुरू हो गया था। अन्य निविदाएं अर्थात फिल्मी सामग्री का डिजिटीकरण और जीर्णोद्धार, एनएफएआई में आईटी बुनियादी ढांचे का निर्माण, आदि, जो कि निविदा के विभिन्न चरणों में थे, भी रोक दी गई। इसके कारण 2017-18 और 2018-19 में धनराशि में कमी हुई।

'निवारक संरक्षण' के तहत कार्य 'संग्रह मूल्यांकन' के तहत काम पूरा होने पर ही शुरू हो सका। चूंकि समीक्षा के कारण संग्रह मूल्यांकन के तहत काम समय पर पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए निष्पादन एजेंसी के चयन के बावजूद निवारक संरक्षण के तहत काम समय पर शुरू नहीं किया जा सका, जिसके कारण 2018-19 में निधियों का कम उपयोग हुआ।

इसके अलावा, इस दौरान एनएफएआई में भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा विकास कार्य करने के लिए किसी एजेंसी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके कारण 2017-18 में और 2018-19 में संशोधित प्राक्कलन की कमी हुई।"

21. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर की सिफारिश संख्या 12 में निम्नवत बताया है:-

"वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी स्कीम को समीक्षाधीन रखा गया था और एनएफएचएम के तहत सभी निविदा प्रक्रियाओं को समीक्षा किए जाने तक रोक दिया गया था। इसमें ''स्थिति मूल्यांकन'' शामिल था जिसके लिए निष्पादन एजेंसी पहले से ही लगी थी और जिसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया था। अन्य निविदाएं अर्थात एनएफएआई में फिल्म सामग्री का निवारक संरक्षण, फिल्मी सामग्री का डिजिटलीकरण और बहाली, एनएफएआई में आईटी अवसंरचना का निर्माण आदि, जो निविदा के विभिन्न चरण में थे, रोक दिए गए।

'निवारक संरक्षण' के तहत काम केवल ''स्थिति मूल्यांकन'' के तहत काम पूरा होने पर शुरू हो सकता है। चूंकि समीक्षा के कारण स्थिति मूल्यांकन के तहत काम समय पर नहीं किया जा सका, इसलिए निष्पादन एजेंसी के चयन के बावजूद निवारक संरक्षण के तहत समय पर काम शुरू नहीं किया जा सका। अब, स्थिति मूल्यांकन के तहत काम शुरू हो गया है। स्थिति मूल्यांकन के वर्क आऊटपुट के आधार पर, निवारक संरक्षण के लिए चयनित एजेंसी संसाधन जुटाने और कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। साथ ही, अब भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए निष्पादन एजेंसी निर्धारित है और नियमित रूप से काम की समीक्षा करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं अर्थात 'फिल्म सामग्री का डिजिटलीकरण' फिल्म सामग्री की बहाली और 'आईटी समाधान' को गति देना सुनिश्चित किया जा

रहा है जैसेकि निष्पादन एजेंसियां एनएफएचएम स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित निधियों के उचित उपयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से लगी हुई है।

एनएफएचएम की तकनीकी समिति द्वारा बारंबार समीक्षाओं को आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए लगातार समीक्षाएं की जा रही है। उच्च स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही है जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की समीक्षा कर रही है। एनएफएचएम स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित निधियों के उचित उपयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीक से निष्पादन एजेंसियों के अपाइंटमेंट के लिए विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं को गति देना सुनिश्चित किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान एनएफएचएम के लिए 22.48 करोड़ रुकी राशि . र पर घटाकरआवंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान स्त3.61 करोड़ रु . कर दिया गया। अंतिम अनुदान 8.11 करोड़ रुनिर्धारित किया गया है और . ति के अनुसारवर्तमान स्थि5.40 करोड़ रुय किया गया है।व्य ."

22. समिति को बताया गया है की यद्यपि यह आकलन किया गया था कि इन कार्यों जैसे फिल्म की दशा का आकलन फिल्म की रील का निवारक संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां 2016-17 के दौरान बना दी जाएंगी कार्यान्वयन एजेंसियों को 2016-17 के दौरान सम्यक प्रक्रिया के बाद फिल्म रीलों के फिल्म दशा के आकलन' के कार्य पर लगाया जाएगा जबकि अन्य क्रियाकलापों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सके जिसकी वजह से 2016-17 के संशोधित अनुमान के अंतर्गत आवंटित निधियों का कम उपयोग हुआ। इसके अलावा पूरी योजना की 2017 में समीक्षा की गई तथा एनएफएचएम के अंतर्गत निविदा प्रक्रियाएं समीक्षा होने तक रोक कर रखी गई। इसके अंतर्गत परिस्थिति आकलन शामिल था जिस पर कार्यान्वयन एजेंसी पहले ही लगा दी गई थी तथा जिसके लिए कार्य शुरू हो चुका था। अन्य निविदाएं जैसे फिल्म सामग्री का डिजिटलीकरण और उद्धार करना, एनएफएआई में आईटी अवसंरचना का सृजन आदि जो निविदा के विभिन्न चरणों पर

थे वह भी रोक दिए गए जिससे 2017-18 और 2018;19 में निधियां कम करनी पड़ी तथा समीक्षा के कारण संग्रह आकलन का कार्य समय से पूरा नहीं हो सका तथा निवारक संरक्षण के अंतर्गत कार्य समय से शुरू नहीं हो सका यद्यपि कार्यान्वयन एजेंसी का चयन हो गया था, जिसके कारण 2018-19 में निधियों का कम उपयोग हुआ।

इस पृष्ठभूमि में समिति नोट करती है कि 2019-20 में एमएफएचएम के लिए 22.48 करोड़ रूपये के बजट आवंटन को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 3. 61 करोड़ रूपये कर दिया गया तथा अंतिम अनुदान 8.11 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया। समिति नोट करती है कि 9 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 5.40 करोड़ रुपए अर्थात 66.58 प्रतिशत खर्च हुआ जिसे संतोषजनक निष्पादन नहीं कहा जा सकता है। समिति आगामी वर्षों में बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय से आग्रह करती है कि इन वर्षों के दौरान निराशाजनक निष्पादन के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

23. समिति ने इस बात पर कुछ हद तक संतोष व्यक्त किया कि संग्रह आकलन के अंतर्गत कार्य पूरा कर लिया गया है तथा चयन की गई एजेंसी जो निवारक संरक्षण के लिए है वह संसाधन जुटाने तथा कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बन गई है तथा कार्य की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं में तेजी आए। एनएफएचएम योजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा आवंटित निधियों के उचित उपयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समय से कार्यान्वयन एजेंसियां लगाई गई है। आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए एनएफएचएम की तकनीकी समिति द्वारा कई बार समीक्षा की गई है उच्च स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की समीक्षा कर रही हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर समिति को विश्वास है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण परियोजना यथा एनएफएचएम जो देश के चलचित्र विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए है मंत्रालय की अक्षमता के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने हेतु नहीं छोड़ा जा सकता। तथा इसके बाद

से परियोजना के वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों को इष्टतम रूप में प्राप्त किया जाएगा।

<u>नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स में गेमिंग एंड कॉमिक्स (एनसीओई)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 13)

24. समिति ने पाया कि योजना आयोग ने एनसीओई को सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है जो कि 12वीं प्लान परियोजना है और यह सरकारीनिजी भागीदारी मॉडल पर - आधारित है। एनसीओई के लिए कुल 167.70 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी और इसे 2016-17 से 2019-20 तक चार वर्ष की अवधि में लागू किया जाना था। समिति यह नोट कर निराश थी कि 2016-17 और 2018-19 के दौरान परियोजना के तहत क्रमशः केवल 0.39 करोड़ रुपये और 1.63 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था जबकि 2017-18 में शून्य व्यय हुआ था। यह बताया गया कि भारतीय जनसंचार संस्थान (कार्यकारी भागीदार) ने एनसीओई के लिए प्रचालन भागीदार के चयन हेतु 03.02.2017 को आरएफपी जारी किया था और मंत्रालय लगभग तीन साल बाद केंद्र के लिए प्रचालन और अकादमिक भागीदार की पहचान करने की प्रक्रिया में है। इस बात पर विचार करते हुए कि बदलते परिदृश्य में जहां एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स मीडिया में नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्रालय एनसीओई परियोजना के लिए प्रचालन और अकादमिक भागीदार का चयन करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए ठोस प्रयास करे और यह सुनिश्चित करे कि एनसीओई परियोजना के लिए निर्धारित 20.50 करोड़ रुपये की धनराशि अपर्युक्त न रह जाए।

25. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

> "सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव एवं आर्थिक सलाहकार, अपर सचिव और संयुक्त सचिव को शामिलकर अगस्त (फिल्म), 2019 में एक समिति का गठन संस्थान की स्थापना के लिए प्रचालन भागीदार के चयन की निगरानी के लिए किया गया था। समिति ने देखा कि वर्ष 2017 में निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और जांच करने में काफी समय बीत चुका है। इस

समय के दौरान, एवीजीसी क्षेत्र में बहुत से तकनीकी सुधार पाठ्यक्रम संशोधन, प्रस्तावित शुल्क में बदलाव आदि हुए हैं। समिति ने तदनुसार सुझाव दिया है कि एवीजीसी क्षेत्र के प्रमुख कार्यकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श से वर्ष-2017 से इस क्षेत्र में बदलाव पर विचार करना वांछनीय होगा। विचारविमर्श के - कर दिया जाए बाद यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान आरएसपी को समाप्त और प्रचालन भागीदार के चयन के लिए एक नए आरएफपी को तैयार किया जाए।"

26. समिति ने अपने पूर्व प्रतिवेदन में नोट किया था कि भारतीय जन संचार संस्थान)कार्यान्वयन भागीदार (ने तीन फरवरी 2017को एनसीओई के लिए प्रचालक भागीदार का चयन करने के लिए आरएफपी जारी की थी तथा मंत्रालय इस केन्द्र के लिए प्रचालक और शैक्षिक भागीदार की पहचान कर रहा था तथा ईमानदारी से यह इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय एनसीओई परियोजना के लिए प्रचालक एवं शैक्षिक भागीदार को खोजने और अंतिम रूप देने का प्रयत्न करे तथा यह सुनिश्चित करे कि एनसीओई परियोजना के लिए निर्धारित 20.50 करोड़ रूपए की निर्धारित निधि अप्रयुक्त नहीं पड़ी रहे। समिति की गई कार्यवाही उत्तर से यह नोट करती है कि अगस्त 2019में इस संस्थान की स्थापना करने के लिए प्रचालक भागीदार के चयन का पर्यवेक्षण करने के लिए मंत्रालय के ए.एस. एंड एफ.ए., ए.एस. एंड जे.एस.)फिल्म (से युक्त एक समिति का गठन किया गया जिसने पाया कि निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा 2017में समीक्षा के बाद से बहुत समय बीत चुका है । एवीजीसी क्षेत्र में अनेक प्रौद्योगिकी सुधार, पाठ्यचर्या परिवर्तन, प्रस्तावित शुल्क में परिवर्तन हो चुके हैं इसलिए समिति ने इस क्षेत्र में वर्ष 2017से एवीजीसी क्षेत्र के प्रमुख भागीदारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके परिवर्तनों पर विचार करने का सुझाव दिया । सम्यक विचार विमर्श के बाद वर्तमान आरएफपी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा प्रचालक भागीदार के चयन के लिए नया आरएफपी बनाया जाएगा।

समिति इससे अवगत है कि 03.02.2017 जब प्रचालक भागीदार के चयन के लिए पहली बार आरएफपी बनाया गया था तब से एवीजीसी क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं तथा इसलिए यह आवश्यक है कि इस बारे में नया आरएफपी बनाया

जाए । तथापि समिति उस तरीके की घोर निंदा करती है जिस प्रकार से एनसीओई परियोजना जो 12वीं योजना की परियोजना है तथा जिसे 4वर्षों की अवधि -2016 17से 20-2019तक लागू किया जाना प्रस्तावित था उसमें अवरोध आया, निश्चय ही इससे संगठन के कार्यकरण पर प्रश्न चिन्ह लगता है। स्पष्टत :यह परियोजना मंत्रालय की अक्षमता तथा आत्मसंतोष से प्रभावित हुई है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अब आगे से परियोजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत अधिक गंभीरता से किया जाए ।

सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार

(सिफारिश क्रम सं. 14)

27. समिति ने नोट किया कि वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान 'सीबीएफसी के उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार' योजना के लिए निधियों का कम उपयोग हुआ है। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट का कारण योजना के अनुसार डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल थिएटरों के प्रापणसंस्थापन हेतु / बीएफसी कार्यालय में स्थान की कमी बताया गया है जिस पर विश्सीवास नहीं होता। पुन: 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने संशोधित अनुमान स्तर पर 2.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को घटाकर 1.30 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया था। समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सीबीएफसी कार्यालय में स्थान की कमी जैसी छोटी सी समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढ़ने में असफल रहने के ढुलमुल रवैया की निंदा की और इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि फिल्म प्रमाणन के व्यापक मुद्दे पर बेनेगल समिति की सिफारिशों की समीक्षा की जाए और बिना विलंब के उस पर कार्रवाई की जाए।

28. अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

"सीबीएफसी कार्यालय में स्थान की कमी थी जिसके कारण सीबीएफसी योजना के अनुसार डिजिटल प्रोजेक्शन प्रणाली और डिजिटल थियेटरों का प्रापण पन नहीं कियासंस्था/जा सका, इसलिए उक्त उद्देश्यों के लिए आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका जिसके कारण वित्तीय लक्ष्यों में कमी आई।

सीबीएफसी के कार्यों का निरंतर फॉलो-उप किया जा रहा है जिससे कि योजना के अनुसार कार्यों को पूरा किया जा सके। आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक अनुमोदन भी लिया जा रहा है।"

.29 समिति ने नोट किया था कि सीबीएफसी कार्यालय में स्थान की कमी के कारण सीबीएफसी बनाई गई योजना के अनुसार डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम एंड डिजिटल थियेटर की स्थापना नहीं कर सका जिसके कारण 'सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रसार' योजना के अंतर्गत17-2016 , 18-2017 और 19-2018 में निधियों का कम उपयोग हुआ। समिति ने 20-2019के दौरान 2.50 करोड़ रूपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1.30करोड़ रुपए किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि इस बारे में आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। समिति की गई कार्यवाही से नोट करती है कि समय सारणी के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यों पर लगातार अनुवर्ती ध्यान दिया जा रहा है । निर्धारित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन भी प्राथमिकता के आधार पर लिए जा रहे हैं । समिति चाहती है कि 20-2019के दौरान इन कार्यों के लिए निधियों के उपयोग की स्थिति से उसे अवगत कराया जाए।

30. समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय के उत्तर में फिल्म प्रमाणन के व्यापक मुद्दे पर बेनेगल समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने और उन पर अविलंब कार्यवाही करने की सिफारिश को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। समिति अपनी सिफारिश दोहराती है तथा इच्छा व्यक्त करती है कि त्वरित गति से आवश्यक कदम उठाएं । समिति चलचित्र अधिनियम 1952की व्यापक समीक्षा तथा उसको अद्यतन बनाए जाने संबंधी अपनी सिफारिश को भी दोहराती है।

<u>विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण</u>

(सिफारिश क्रम सं. 16)

31. समिति 2018-19 के दौरान 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण योजना' के तहत आवंटित निधियों के कम उपयोग के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए कारणों जैसे कि बांग्लादेश के साथ दृश्यनिर्माण -श्रव्य सह-समझौते में 'बंगबंधु' फिल्म के निर्माण हेतु फिल्म निर्माता निधि निर्धारित किये जाने और यह कि यह फिल्म प्रसिद्ध निर्माता श्री श्याम बेनेगल के निर्देशन में अनुसंधान और पटकथा लेखन स्तर पर थी, से सहमत नहीं थी। समिति ने फिल्म 'बंगबंधु' के निर्माण के लिए 2017-18 के दौरान 14 करोड़ रुपये, जब फिल्म केवल अनुसंधान और पटकथा के चरण में थी का प्रावधान करने के कारणों को जानना चाहा। समिति ने मंत्रालय से बजट अनुमान तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरतने का आग्रह किया।

32. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

> "यह उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म 'बंगबंधु' के लिए शोध और पटकथा वर्ष 2017-18 के पहली छमाही के दौरान पूरी कर ली जाएगी और निर्माण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए वर्ष 2017-18 के दौरान फिल्म के निर्माण के लिए 14.00 करोड़ रुकी निधि . आवंटित की गई थी।
>
> ''बंगबंधु'' फिल्म के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एफडीसी) विकास निगमऔर फिल्म (एनएफडीसी), बांगलादेश के बीच में दिनांक 14.01.2020 को एक सहनिर्म-ाण करार हस्ताक्षरित किया गया था। फिल्म के लिए पटकथा को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और मार्च, 2020 में शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। यह उम्मीद की जा रही है कि मार्च, 2021 तक फिल्म पूरी हो जाएगी।

वर्तमान स्थिति के अनुसार फिल्म निर्माण हेतु 8.50 करोड़ रु .की कुल राशि जारी की गई है।"

.33 समिति ने अपने पूर्व प्रतिवेदन में 'बंगबंधु' फिल्म के उत्पादन के लिए 2017-18 के दौरान उस स्थिति में 14करोड़ रूपये का प्रावधान करने के कारणों को जानने की इच्छा व्यक्त की थी जब यह फिल्म अनुसंधान एवं पटकथा लेखन के चरण पर ही थी। अपने उत्तर में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस आशा से आबंटन किया गया कि 'बंगबंधु' फिल्म के लिए अनुसंधान एवं पटकथा लेखन का कार्य 18-2017की अवधि के प्रथम अर्धांश में पूरा हो जाएगा तथा इसका निर्माण वित्तीय वर्ष के द्वितीय अर्धांश में शुरू हो जाएगा । इस बारे में समिति मंत्रालय से बजट प्राक्कलन तैयार करते समय पूरी सावधानी बरतने की अपनी पूर्व सिफारिश दोहराती है ।

.34 समिति नोट करती है कि 'बंगबंधु' फिल्म के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम)एनएफडीसी (तथा फिल्म विकास निगम)एफडीसी(, बांग्लादेश के बीच 14.01.2020 को सह-निर्माण समझौता हुआ था तथा फिल्म की पटकथा को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। तथापि समिति इस तथ्य को गंभीरता से नोट करती है कि 'बंगबंधु' फिल्म का निर्माण जिसके 18-2017के द्वितीय अर्धांश में शुरू होने की आशा थी उसमें असाधारण विलंब हुआ। जो भी कारण हों इससे एनएफडीसी की मुद्दों को हल करने की क्षमता का पता चलता है जिससे शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन पर फीचर फिल्म 'बंगबंधु' के उत्पादन में विलंब हुआ जबकि यह कार्य पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध के लिए महत्वपूर्ण है ।

.35 समिति इससे अवगत है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार तथा मार्च 2020 में विभिन्न राज्यों में लगने वाले लॉकडाउन के कारण फिल्म की शूटिंग में बाधा आई है। तथापि समिति चाहती है कि मंत्रालय/एनएफडीसी यह सुनिश्चित करे कि जो विलंब हुआ उसकी भरपाई हो तथा फिल्म को निर्धारित समय अर्थात मार्च 2021तक पूरा किया जाए ।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

<u>बजट प्रस्ताव और महत्वपूर्ण क्षेत्र</u>

(सिफारिश क्रम सं. 1)

समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में प्रसार भारती का (एआईआर और दूरदर्शन) डिजिटलीकरण, प्रसार भारती के विषयवस्तु विकास पर त्वरित निवेश-, देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का प्रसार, सरकार की संदेश सेवा पर बेहतर प्रभाव हेतु समेकित मीडिया मुहिम दृष्टिकोण और इस क्षेत्र पर इसकी दृश्यता, राष्ट्रीय फिल्मदाय मिशन का कार्यान्वयन और राष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का / आयोजन, फिल्म और दूरदर्शन संस्थान अरूणाचल प्रदेश की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का स्वर्ण जयंती संस्करण, शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर 'बंगबंधु' फीचर फिल्म का निर्माण, भारत में फिल्म क्षेत्र का सवंर्धन तथा चैम्पियन क्षेत्र योजना के तहत पूरे विश्व के फिल्म एवं टेलीविजन कार्यक्रम निर्माताओं के लिए भारत को एक वरीयता प्राप्त शूटिंग स्थल बनाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने 1068.05 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया था जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर 900 करोड़ रूपए कर दिया गया। इसके अलावा, इसी में से एक बड़ा हिस्सा 473 करोड़ रूपए प्रसार भारती को आवंटित किए गए हैं और 238 करोड़ रूपए फिल्म क्षेत्र में और 165 करोड़ रूपए सूचना क्षेत्र को और 24 करोड़ रूपए प्रसारण क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं। (प्रसार भारती के अलावा) समिति पाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय के वित्तीय निष्पादन का) अब तक अच्छा नहीं है। प्रसार भारती और फिल्म क्षेत्र के अधीन योजनाओं (लक्षण निधियों का उपयोग लक्ष्यों से बहुत कम है। प्रसार भारती के मामले में के संबंध में 473 करोड़ रूपए के आवंटन में से जुलाई, 2019 तक 26.83 करोड़)5.6 प्रतिशत (व्यय किया जा सका, यही हाल फिल्म क्षेत्र का है जहां 156 करोड़ रूपए के आवंटन में से मात्र 16.79 करोड़ रूपए)10.17 प्रतिशतव्यय किया गया है। (

समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालयप्रसार भारती निधियों के कम / उपयोग के कारणों को सूक्ष्मता से देखें औरअत्यावश्यक सुधारात्मक उपाय करे ताकि न्यून उपयोग के कारण कोई बड़ी योजना बाधित नहीं हो और मंत्रालय को निधि उपयोग में उसके निष्पादन के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएं।

<u>गत निष्पादन की समीक्षा</u>

(सिफारिश क्रम सं. 2)

समिति चिंता के साथ नोट करती है कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए क्रमशः 840 करोड़ रूपए और 735.05 करोड़ रूपए रखे गए थे जिसे घटाकर संमें क्रमशः .अ. 597.77 करोड़ रूपए और 712.66 करोड़ रूपए कर दिया गया। स्पष्टतः आवंटनों को कम करने के कारण इन वर्षों के दौरान शुरू की गई सभी प्रमुख योजनाओं का आकार छोटा करना पड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्रालय निधियों को कम करने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है। यद्यपि ये कारण सामान्यतः व्यय करने की गति से संबंधित है। इसलिए संमें आवंटनों में कमी .अ. निश्चय ही मंत्रालय की अपनी योजनाओं को समय से लागू करने में असमर्थता है। इसलिए समिति गहराई से महसूस करती है कि आवंटनों में कमी से व्यक्त करता मंत्रालय की प्राथमिकताएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित स्तर तक नहीं हो पाती है। इसलिए, इससे बचना चाहिए।

(सिफारिश क्रम सं. 3)

समिति यह जानकर खेद व्यक्त करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2017-18 और 2018-19 के दौरान कम किए गए आवंटन का भी उपयोग नहीं कर पाया। संशोधित अनुमान 597.77 करोड़ रूपए और 712.66 करोड़ रूपए में से वास्तविक व्यय क्रमशः 501.42 करोड़ रूपए)83.88 प्रतिशतऔर (656.78 करोड़

रूपए)92.16 प्रतिशतजो भी बाधाएं हों था। (, वे मंत्रालयप्रसार भारती के लिए नई / नहीं थीं और वह उनका सामना वर्ष दर वर्ष करता आ रहा है।

समिति इसको लेकर स्पष्ट है के किसी योजनापरियोजना की मंजूरी देते समय / ऐसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। इसलिए, समिति चाहती है कि उसे आश्वस्त किया जाए कि मंत्रालय तैयार रहेगा और मंत्रालय आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग करते हुए इन योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए इन समस्याओं को दूर करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

सरकार का उत्तर

कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए और योजना व्यय में सुधार करने के लिए, मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं : आवधिक समीक्षा, सभी प्रमुख स्कीमों का मध्यावधि मूल्यांकन और व्यय की नियमित निगरानी।

संसाधनों के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए, 2019-20 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना स्कीमों का एक व्यापक युक्तिकरण और पुनसंरचना : का कार्य किया गया है, जिसे 2020-21 से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य इष्टतम उत्पादन और परिणाम के लिए संसाधनों के बहुत कम फैलाव से बचने के लिए खंडित स्कीमों को समेकित करना था। विभिन्न मीडिया इकाइयों में फैले समान उद्देश्यों और गतिविधियों के साथ विभिन्न छोटी स्कीमोंम के कार्यक्रमों को एक समूहबद्ध स्की/ तहत मिला दिया गया है। विभिन्न गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक नई उपमिलाया गया है। इसके मों कोमों को भी इन व्यापक स्कीस्की-अलावा, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक स्वरूप वाली स्कीमों को स्थापना व्यय और अन्य केंद्रीय व्यय में श्रेणी स्थानांतरित कर दिया गया है। संसाधनों का समेकन उपयोग में लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे धन का बेहतर उपयोग हो सकेगा और प्रत्येक क्षेत्र लाभान्वित होगा। इसके अलावा, चल रही स्कीमों के युक्तिकरण के साथ, मीडिया इकाईयों को उनके कार्य के स्वरूप और इसके अन्य घटकों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है जो अन्य बातों

के साथजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन के मों के तहत परियोसाथ स्की-
लिए सहायक होगा।14 केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों युक्तिकरण के बाद, मंत्रालय के पास अब केवल 5 केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं। यह विभिन्न कार्यान्वयन चरणों में स्कीमों की बेहतर और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगा।

स्कीमों के संबंध में भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा सचिव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की (सूचना और प्रसारण)
बैठकों में नियमित रूप से कीजाती है। संबंधित अपर सचिवसंयुक्त सचिव भी / मों के कार्यान्वयन की भार के तहत विभिन्न स्कीअपने प्र-नियमित रूप से अपने निगरानी करते हैं। मीडिया इकाइयों को अपनी परियोजनाओं को लागू करने में
रूकावटों को इंगित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन/ बाधाओंविशिष्ट मुद्दों को मंत्रालय में आयोजित बैठकों में चर्चा की जाती है और सभी हितधारकों के साथ परामर्श से हल किया जाता है। मीडिया इकाइयां भी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की निगरानी के लिए अपनी टीमों को फील्ड में तैनात करती हैं।

प्रसार भारती के संबंध में, मंत्रालयप्र/सार भारती द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) यह उल्लेखनीय है कि आवंटन में कमी और इसके अपर्याप्त उपयोग के कारणों में से एक कारण यह भी था कि वर्ष 2017-20 की अवधि के लिए "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास'' की स्कीम को फरवरी, 2019 में ही मंजूरी मिली थी। अधिकांश परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्याप्त संख्या में निविदाओं के लिए आपूर्ति आदेश पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं।

बोलीदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने और निविदा की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए, एक मानक प्रचालन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है (एसओपी), जो लागत के अनुमान, उद्योग फीडबैक के साथ विनिर्देश तैयार करने, बोलीदाताओं की ओर से पूछताछ, निविदा खोलने की तिथि को बढ़ाने आदि जैसे मुद्दों का समाधान करता है। समयबद्ध तरीके से मुद्दों को हल करने के लिए विक्रेताओं के साथ बातचीत

और नियमित निगरानी की जा रही है। यह उम्मीद की जाती है कि इन उपायों से प्रभावी निविदा प्रक्रियाओं से सुगम बना बजट उपयोग बढ़ेगा।

ii) प्रसार भारती ने आश्वासन दिया है कि पिछले वर्षों के कम खर्च के रुझान को ध्यान में रखते हुए, वे डीडी और आकाशवाणी के अपने नेटवर्कों पर बजट और खर्चों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अड़चनों की शीघ्र पहचान और उनके समाधान, परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन के उच्चतम स्तरों पर नियमित निगरानी की जाती है , जिससे व्यय की गति और अनुदान के पूर्ण उपयोग में सुधार होने की संभावना है।

iii) मंत्रालय ने प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास को युक्तिसंगत बनाया है जो स्कीम के समग्र ढांचे के भीतर बचतों को एक उप शीर्ष से दूसरे में लाने में सहायता करता है।

iv) गुणवत्तापरक प्रोग्रामिंग पर सामग्री खर्च को बढ़ावा देने के लिए, प्रसार भारती बोर्ड ने नवंबर 2019 में अपनी 158 वीं बैठक में पिछले अनुभवों के आधार पर सामग्री की खरीद के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। संशोधित दिशानिर्देश सामग्री की समय पर खरीद में पिछली चुनौतियों को दूर करने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि गुणवत्तापरक सामग्री प्रभावी ढंग से खरीदी जाती हो।

बारीकी से निगरानी के साथ इन कदमों से आवंटित संसाधनों के उपयोग में सुधार सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे मंत्रालय 2019-20 के दौरान अपने संसाधनों का इष्टतम स्तर तक उपयोग करने में सक्षम होगा।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

<u>प्रसार भारतीडीडी किसान चैनल/</u>

(सिफारिश क्रम सं. 4)

समिति गत दो वर्षों में प्रसार भारती के निष्पादन में कमी नोट कर अप्रसन्नता व्यक्त करती है। प्रसार भारती को 2017-18 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए 430 करोड़ का बजट परिव्यय आवंटित किया गया तथापि संमें .अ. आवंटन में कमी कर 282 करोड़ रूपए कर दिया गया। कम किए गए आवंटन का भी इष्टतम उपयोग नहीं हुआ और वास्तविक व्यय 201.57 करोड़)71.47 प्रतिशत (हुआ। इसी प्रकार 2018-19 में 326.74 करोड़ के आवंटन जो गत वर्ष की तुलना में भी कम था, केवल 280.70 करोड़)85.90 प्रतिशतका उपयोग किया जा सका। (

इस कमी का कारण डीडी किसान चैनल का इन वर्षों के दौरान कम व्यय बताया गया जबकि 2017-18 और 2018-19 में डीडी किसान चैनल की विषय सामग्री के लिए 63 करोड़ रूपए और 45.16 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जो संमें घटाकर क्रमशः .अ. 46.58 करोड़ रूपए और 34.51 करोड़ रूपए कर दिये गए। आवंटनों में ये भारी कमी जिसका आकलन प्रसार भारती द्वारा डीडी किसान चैनल की विषय सामग्री के विकास के लिए आवश्यक रूप में किया गया था, के कारण इन वर्षों में प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्ववयन में विलंब हो गया था। समिति को यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है के कम किए गए आवंटन का उपयोग नहीं किया गया और वास्तविक व्यय भी लक्ष्यों से काफी कम था जो क्रमशः 34.47 करोड़ रूपए)74 प्रतिशतऔर (19.35 करोड़ रूपए)56 प्रतिशतथा। निधियां कम उपयोग में ली जा (सकीं क्योंकि एक निर्णय लिया गया था कि डीडी किसान अपने कार्यक्रम स्वयं बनाएगा; इस प्रकार स्वपद्धति के माध्यम से (एसएफसी) वित्तपोषण शुरूआत-कार्यक्रमों की शुरूआत को रोककर रखेगा। डीडी किसान के पास स्वयं कार्यक्रम तैयार करने हेतु पर्याप्त संख्या में श्रमशक्ति नहीं है। यात्रा वृत्तांत आधारित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किए जा सके तथा 'रियलिटी शो' अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया।

समिति के लिए यह आश्चर्यजनक है कि कार्यकमों को शुरू करने हेतु पर्याप्त श्रमशक्ति की उपलब्धता पर विचार किए बगैर निर्णय लिया गया। समिति की राय है कि मंत्रालयप्रसार भारती द्वारा किए गए सारे बजटीय प्रयास व्यर्थ हैं। यदि उनकी /

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को गंभीरता से नहीं लिया जाए। स/योजनाओंमिति पुरजोर सिफारिश करती है कि डीडी किसान चैनल पर कार्यक्रमों का स्वयं तैयार किए जाने का कार्य उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए।

(सिफारिश क्रम सं. 5)

गत दो वर्षों में निधियों के कम उपयोग के अन्य कारणों में 'महिला किसान अवार्ड्स', रियलिटी शो को अंतिम रूप देने हेतु मुद्दे, अनेक केन्द्रों में कार्यक्रम के लिए स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं को बताया गया है जिसके परिणामस्वरूप डीडी किसान के लिए किसी कार्यक्रम को तैयार करने में असमर्थता, कलाकारों, निर्माताओं, नैमित्तिक व्यक्तियों, संसाधन व्यक्ति आदि हेतु अपर्याप्त निर्धारित शुल्क जिसमें डीडी किसान के लिए किसी कार्यक्रम के निर्माण में प्रतिभागियों को संलग्न करने में समस्या आदि कारण बताए गए हैं।

समिति ऐसे कारणों को तर्कसंगत नहीं मानती है क्योंकि इनमें से कई कारण पहले से ही प्रत्याशित थे और प्रसार भारती द्वारा उनसे समय रहते निपटा जा सकता था। मंत्रालयप्रसार भारती द्वारा निधियों के कम उपयोग के दिए गए सभी / कारण, प्रसार भारती के कार्यकरण के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और इस बारे में समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय में नियोजन एवं समन्वयन बहुत अच्छा नहीं था और इसमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

समिति यह भी आशा करती है कि प्रसार भारती को अपने अतीत से सीख लेना चाहिए जिससे कि डीडी किसान चैनल हेतु 2019-20 के दौरान आवंटित 29.72 करोड़ रूकी राशि का इष्टतम उपयोग करने के पर्याप्त सुधारात्मक कदम उठाए जा . सके तथा उनके द्वारा पुनः धनराशि का कम उपयोग किए जाने के बारे में समान आधारों का उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले में किसान लक्षित दर्शक है जिन्हें प्रसार भारती के गैरनिष्पादन के कारण डीडी किसान चैनल की सेवाओं से - वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

i) डीडी किसान आंतरिक स्तर पर सामग्री विकसित करने के अलावा स्व- करता है। म के माध्यम से सामग्री प्राप्तकी स्की (एसएफसी) वित्तपोषित कमीशनिंग स्वीकृत बजट का अधिकतर भाग एसएफसी कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता म में खामियां साहै। कम बजट उपयोग की समीक्षा से स्कीमने आईं, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी हुई जिसके कारण भुगतान रूक गए, क्योंकि मामले न्यायाधीन थे।

ii) इस बीच, प्रसार भारती ने समीक्षा करने पर, प्राप्त अनुभवों पर आधारित कमियों को दूर करने के लिए हाल ही में नवंबर)2019 में प्रसार भारती बोर्ड की 158वीं बैठकम लागू की दिशानिर्देशों में संशोधन किया। अब संशोधित स्की/मस्की (गई है।

iii) आंतरिक स्तर पर निर्माण के संबंध में, 2018-19 और 2019-20 में दूरदर्शन के सभी केंद्रों के सहयोग से सफरनामा आधारित कार्यक्रमों के-200 से अधिक एपिसोड तैयार किए गए थे। रियलिटी शो "महिला किसान अवार्ड" वित्त वर्ष 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया और प्रसारित किया गया। चूंकि यह भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला महिला किसानों के साथ डीडी किसान का पहला रियल्टी आधारित कार्यक्रम था , इसलिए योजना और निर्माण में बहुत विस्तार से कार्य करने आवश्यकता थी। निर्माण कार्य नौ महीने तक चले। प्रत्येक एक घंटे के पचपन कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया गया।

iv) 13 करोड़ रुपये का व्यय पहले ही किया जा चुका है, यह आशा है कि डीडी किसान के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष के अंत तक खर्च किए जाएंगे।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 7 और 8 देखें)

<u>पूंजीगत आस्तियां (किसान चैनल सहित)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 6)

इसके अतिरिक्त, समिति पाती है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के संबंध (किसान चैनल सहित) स्तर पर इसके लिए क्रमशः .अ.में ब 213 करोड़ रूतथा . 141.50 करोड़ रूका . प्रावधान किया गया, तथापि जिसे संस्तर पर घटाकर क्रमशः .अ. 118.34 करोड़ तथा 112.17 करोड़ रूकर दिया गया और जिसमें से क्रमशः केवल . 52.02 करोड़ रू) .44 प्रतिशततथा (80.08 करोड़)71 प्रतिशतका ही उपयोग किया जा सका। समिति (स्तर .अ.प्रत्येक वर्ष संपर बजटीय आवंटन को घटाए जाने के तरीके तथा वास्तविक व्यय को भी कम किए जाने को नोट कर गंभीर है।

समिति मंत्रालयप्रसार भारती द्वारा उनकी परियोजनाओं जैसे स्वीकृति देने की / प्रक्रिया के समय जीएसटी संबंधित मुद्दों, कुछ परियोजनाओं में डब्ल्यूपीसी अनापत्ति प्राप्त करने में देरी, पर्याप्त बोलीप्राप्ति के कारण कुछ -ओं के प्रश्नों की गैरबोलीकर्ता/ अर्थ स्टेशन परियोजनाओं के लिए निविदा जारी करने की तिथि को बढ़ाने में देरी और कुछ परियोजनाओं में फर्मों द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में देरी आदि के संबंध में बार दिए ग-प्रायः बारए बहानों से संतुष्ट नहीं है। समिति का विचार है कि ये अवसंरचनात्मक परियोजनाएं पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निष्पादन को सुनिश्चित करने तथा देश के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने का तंत्र है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय को अपने कार्यान्वयन को गंभीरता से लेना चाहिए जिससे कि अनुमानित देरी को कम करने हेतु समयपूर्व सुधारात्मक उपाय किए जा - सके।

सरकार का उत्तर

जहां पूंजीगत परिसंपत्तियों का संबंध है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रसार भारती द्वारा प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर नियमित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है। खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। परियोजना समीक्षा बैठकें

जोनल स्तर, मुख्यालय स्तर और प्रसार भारती सचिवालय स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। पूंजीगत उपकरणों की खरीद और कार्यों के निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों का उन लक्ष्यों और उपलब्धियों के तहत सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है जो प्रबंधन द्वारा तय किए गए हैं।

समय पर उनकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूपीसी अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है। अगले साल की परियोजनाओं के लिए अग्रिम निविदा कार्रवाई भी की गई है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 11 देखें)

(सिफारिश क्रम सं. 7)

2019-20 के दौरान अरूण प्रभा चैनल हेतु 97.28 करोड़ रू का बजटीय . प्रावधान किया गया है। चूंकि वर्ष के दौरान डीडी अरूण प्रभा के कमिशनिंग प्रोग्राम हेतु 111 परियोजनाएं हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रसार भारती ने बताया कि हाल ही में प्रसार भारती ने विषयवस्तु नीति को बदला है-, साथ ही निर्माताओं को अग्रिम भुगतान किया जाएगा जिससे कि वे निवेश कर सकें तथा सही ढंग से कार्य कर सकें। समिति को आशा है कि वर्तमान वर्ष के दौरान अरूण प्रभा चैनल के संबंध में प्रस्तावित सभी परियोजनाएं, समयसीमा के अंदर सही ढंग से कार्यान्वित - की जाएंगी और आवंटन का इष्टतम उपयोग किया जाएगा।

सरकार का उत्तर

डीडी अरुणप्रभा का-09.02.2019 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया और इसका 24x7 प्रसारण शुरू किया गया है। सामग्री के निर्माण के लिए कमिशनिंग वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम महीने अर्थात मार्च 2019 में शुरू हुई। विभिन्न विधाओं जैसे कि सफरनामा, पत्रिका, क्विज़, थ्रिलर, पौराणिक कथा, वृत्तचित्र, टेलीफिल्म और डेली सोप, कमीशनिंग के तहत 111 परियोजनाएँ हैं।

लगभग 52.64 करोड़ रुका उपयोग किया गया है। . सीईओ प्रसार भारती द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रगति की निगरानी की जा रही है और यह प्रत्याशित है कि वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी राशि खर्च किए जाने की संभावना है।
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

(सिफारिश क्रम सं. 9)

समिति को सूचित किया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में एफएम रेडियो और टेलीविजन के संबंध में भौतिक कवरेज करना है। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समिति को बताया कि आज तक, ऑल इंडिया रेडियो के पास 495 एफएम ट्रांसमीटर्स हैं। गैरसर्किल- क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जिसे उपयुक्त एफएम स्टेशनों के साथ कवर किया जाएगा, विशेष रूप से यह देखते हुए कि पड़ोसी देशों के पास भी एफएम स्टेशन है जो सशक्त है और उनमें ऐसी गतिविधियां शामिल है जो भारत के लिए सहायक नहीं है।

इस संबंध में, समिति देश के सीमा क्षेत्रों को कवर करने के लिए एआईआरप्रसार भारती /पना हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालयटीवी ट्रांसमीटर्स की स्था/ की योजना से अवगत होना चाहती है। समिति का मत है कि पर्याप्त शक्ति के ट्रांसमीटर्स की स्थापना संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में की जानी चाहिए जिससे कि पड़ोसी देशों द्वारा भारतसे सामना किया जा विरोधी दुष्प्रचार का प्रभावकारी ढंग- सके। प्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए डीटीएच प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर शॉर्टवेब रेडियो ट्रांसमिशन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

आकाशवाणी के देश भर में 458 स्थानों पर 501 एफएम ट्रांसमीटर चालू हैं और वर्तमान में इसकी पहुंच देश के 54% के लगभग और देश की कुल आबादी के लगभग 64% में है। देश में एफएम स्थलीय कवरेज को और बढ़ाने के लिए 112

अदद 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटरों सहित 143 एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन ट्रांसमीटरों के चालू होने के बाद, एफएम मोड में आकाशवाणी कवरेज देश की लगभग 74% आबादी तक बढ़ने की संभावना है। आकाशवाणी नियमित रूप से सीमा क्षेत्रों में एफएम कवरेज को मजबूत कर रहा है। 143 एफएम ट्रांसमीटरों में से भारत नेपाल सीमा पर-6 अदद 10 किलोवाट और एक अदद 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, भारत पाकिस्तान सीमा पर-2 अदद 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 अदद 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का कार्यान्वयन चल रहा है।

प्रसार भारती ने अपनी दिल्ली और बेंगलूरु केंद्रों में नवीनतम डीआरएम डिजिटल रेडियो तकनीक के साथ शॉर्ट वेव ट्रांसमीटरों का आधुनिकीकरण किया है। डीआरएम डिजिटल रेडियो मोड में शॉर्ट वेव के आधुनिकीकरण की आगे की योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसे कुरसॉन्ग केंद्र में लागू किया जा रहा है, जबकि अप्रचलित एनालॉग ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।

प्रसार भारती एक विकल्प के रूप में आकाशवाणी के चैनलों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर अन्य डिजिटल माध्यमों का पता लगाया जा रहा है। वैश्विक दर्शकों के लिए प्रसार भारती वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर और एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़नएयर ऐप पर विभिन्न आकाशवाणी चैनल उपलब्ध हैं। डीडी फ्री डिश डीटीएच अवसंरचना का उपयोग करके कई रेडियो चैनल को सैटेलाइट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, अपनी फ्रीएयर डीटीएच सेवा-टू- "डीडी फ्री डिश" के माध्यम से मल्टीचैनल टीवी कवरेज के मद्देनजर-, अभी जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछेक ट्रांसमीटरों को छोड़कर, स्थलीय कवरेज के विस्तार के लिए नए ट्रांसमीटरों की परिकल्पना नहीं की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय टीवी कवरेज को मजबूत करने के लिए, जम्मूकश्मीर में निम्नलिखित पांच नए हाई पावर - टीवी ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:-

एचपीटी, ग्रीन रिज

एचपीटी, हिंबोटिंगला
एचपीटी, नत्था टॉप (पटनीटॉप)
एचपीटी, राजौरी डीडी)नेशनल और डीडी न्यूज(

वर्तमान में ये एचपीटी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन की "डीडी फ्री डिश" सेवा सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में कहीं भी छोटे आकार की डिश रिसीव इकाईयों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। प्रसार भारती ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में 30,000 डीटीएच रिसीव सेट वितरित किए हैं। इसके अलावा, प्रसार भारती जम्मू और कश्मीर सहित देश में आगे वितरण के लिए 1,20,000 रिसीव सेट खरीदने की प्रक्रिया में है।
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां
(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 17 देखें)

(सिफारिश क्रम सं. 10)

2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जुलाई, 2019 तकके दौरान प्रसार (भारती के अंतोषजनक निष्पादन को देखते हुए समिति चाहती है कि उसे इसके प्रसार भारती /यबजटीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्राल द्वारा कार्यान्वित की जारही संशोधित प्रक्रिया, यदि कोई हो, के बारे में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

i. प्रसार भारती ने प्रत्येक कार्य के लिए समयबद्ध लक्ष्य के साथ खरीद प्रक्रिया को संशोधित करके आवंटित धनराशि की समय पर बुक करने की पहल की है। प्रसार भारती ने खरीद से संबंधित गतिविधियों के लिए एक समर्पित एडीजी स्तर अधिकारी को यह कार्य सौंपा है।

ii. बोलीदाताओं की बेहतर भागीदारी को बढ़ाने और निविदा की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए, एक मानक प्रचालन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है (एसओपी) सका पालन किया जा रहा है।और इ यह लागत के अनुमान, उद्योग फीडबैक के साथ विनिर्देशन तैयार करना, बोलीदाताओं की ओर से पूछताछ, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाने आदि जैसे मुद्दों का समाधान करता है।

iii. सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और धनराशि को संतोषजनक ढंग से बुक करने के लिए मासिक बजट समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

iv. सभी उपरोक्त गतिविधियों की सभी इंजीनियरिंग और सामग्री खरीद के महत्वपूर्ण विभाग प्रमुखों के साथ नियमित आधार पर व्यक्तिगत रूप से सीईओ प्रसार भारती और सदस्य की जा रही है। दोनों के द्वारा समीक्षा (वित्त)

v. पूरे नेटवर्क में सटीक रिपोर्टिंग और दृश्यता की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक डैशबोर्ड भी विकसित किया जा रहा है ताकि वरिष्ठ प्रबंधन समीक्षाओं में आसानी हो।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

<u>विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण</u>

(सिफारिश क्रम सं. 15)

भारतीय समय के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक भारतीय भाषाओं में अच्छी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के आशय से 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण' योजना में वृत्तचित्र, बाल फिल्म, लघु फिल्म एनीमेशन फिल्में और समाचार पत्रिकाएं सम्मिलित हैं। यह योजना सिनेमाई, शीर्षक वाली और सौंदर्यानुभूति उत्कृष्टता वाली फिल्मों के निर्माण को सहायता प्रदान करती है जो मुख्य फीचर फिल्मों को दिखाए जाने से पूर्व जनसेवा जागरूकता फिल्मों की आपूर्ति करने हेतु पूरे देश में सिनेमा थिएटरों की आवश्यकता पूरी करती है। तथापि,

समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि गत दो वर्षों के दौरान योजना के संबंध में मंत्रालय का प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा है क्योंकि वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान योजना के लिए 16.00 करोड़ और 14.00 करोड़ रूपए का बजटीय आवंटन बहुत कम रहा है और यह क्रमशः 09.41 करोड़)58.81 प्रतिशतऔर (09.91 करोड़)70.78 प्रतिशत) के स्तर पर रहा है। समिति को वर्ष 2017-18 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारणों पर विश्वास नहीं है कि एनएफडीसी को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि दिशानिर्देशों में एक खंड अंतःस्थापित किया ग-या था कि एनएफडीसी पर योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। समिति को पता चला है कि दिनांक 16.04.2018 को संबंधित दिशानिर्देशों - नोट अंतर्विष्ट किया गया था और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि /द्वारा उक्त खंड वर्ष 2017-18 के दौरान निधियों के क्रम में उपयोग का कारण नहीं हो सकता। अतः समिति चाहती है कि मंत्रालय वास्तविक स्थिति का पता लगाए और तदनुसार उसे सूचित करे।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एनएफडीसी को कोई निधि जारी नहीं की गई क्योंकि एनएफडीसी का अन्य फिल्म एककों के साथ विलय के लिए प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

<u>सूचना क्षेत्र</u>

<u>आईआईएमसी का उन्न्यन कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना</u>

(सिफारिश क्रम सं. 17)

समिति को सूचित किया गया है कि आईआईएमसी का उन्नयन कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाने में बहुत ज्यादा कमी रही है। तथापि, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि वर्ष 2018-19 में केवल इस अनुमान के आधार पर रिज प्रबंधन बोर्ड और दिल्ली सरकार के अन्य नागरिक प्राधिकरणों से नई दिल्ली में अतिथि गृह, हॉस्टल भवन और अकादमिक खंड के निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा, बजट अनुमान स्तर पर तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। समिति नोट करती है कि आईआईएमसी आज तक निर्माण गतिविधियां शुरू करने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि, आईआईएमसी को अब राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है और (एसएलईएसी) कृतिभारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से उच्च स्वी, रिज प्रबंधन बोर्ड से प्राप्त स्वीकृति को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड समिति को (सीईसी) भेज दिया गया है। दिनांक 24.09.2019 को आईआईएमसी ने तीन सदस्यीय सीईसी के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया था। दिनांक 15.10.2019 को सीईसी ने स्थल निरीक्षण के लिए आईआईएमसी का दौरा किया और इन घटनाओं से आईआईएमसी को दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपेक्षित स्वीकृति और 2019-2020 के दौरान निर्माण कार्य आरंभ करने की अनुमति मिलने की आशा है।

समिति यह बात नहीं समझ पा रही है कि जिस परियोजना को 11वीं योजना में शामिल किया गया था वह अभी भी आरंभ नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, जब परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले इतनी अधिक प्रक्रियागत आवश्यकताओं से गुजरना पड़ता है तो ऐसे में इस गतिविधि के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान प्रावधान क्यों किया गया। इस संबंध में समिति को स्पष्टीकरण दिया जाए।

सरकार का उत्तर

i. योजना स्कीम (मअब केंद्रीय क्षेत्र स्की) ''अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन'' के तहत दिल्ली परिसर में 16.22 एकड़ में एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक और 12,933 वर्ग मीटर का अतिथि गृह बनाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव 2012 से सिविक और अन्य विनियामक प्राधिकारियों से आवश्यक

मंजूरी के अभाव के कारण बाधित है क्योंकि परिसर दिल्ली के रिज क्षेत्र में स्थित है।

ii. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईआईएमसी ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं जोकि लाभकारी रहे। दिनांक 24.09.2019 को आईआईएमसी को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति न ने तीन के समक्ष सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया था। संस्था (सीईसी) रूपति दी जिसके परिणामस्वसमक्ष प्रस्तु य सीईसी केसदस्यी, अध्यक्ष सीईसी ने आईआईएमसी को भवन योजना में कुछ संशोधनों को पूरा करने के लिए कहा जिसमें अनुमेय सीमा तक ऊर्ध्वाधर जाने और जमीनी क्षेत्र कवरेज कम करने के लिए कहा। आर्किटेक्ट से सलाह लेने के बाद, यह पाया गया कि प्रस्तावित छात्रावास ब्लॉक में अतिथि गृह को को लोकेट करते हुए-1560 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र को कम करना संभव हो सकेगा। तदनुसार, भवन डिजाइन को संशोधित किया गया और सीईसी को प्रस्तुत किया गया है।

iii. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक (सीईसी)22.10.2019 की अपनी रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को सिफारिश की थी कि महानिदेशक, आईआईएमसी को कतिपय शर्तों के अधीन रिज क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित नए छात्रावास सहक के विश्राम गृह और प्रशासनिक ब्लॉ- यालय की सलाह के तम न्यादी जा सकती है। माननीय उच्च निर्माण को अनुमति अनुसार, आईआईएमसी ने दिनांक 26.11.2019 को एक हलफनामा यह कहते हुए दायर किया है कि आईआईएमसी सिफारिशों में निर्धारित शर्तों का पालन करेगी। मामले को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।

iv. तदनुसार, यथोचित आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कीम के तहत बजट अनुमान में 3.00 करोड़ रु मंजूरी की मांग की गई थी कि भवन योजनाओं को जल्द . मिल जाएगी। निधियों को इस आधार पर मांगा गया था कि वर्ष2018-19 के भीतर जल्द मंजूरी प्राप्त कर ली जाएगी।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन

(सिफारिश क्रम सं. 18)

समिति यह नोट कर खेद व्यक्त करती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन' योजना के लिए निधियों का कम उपयोग हुआ। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती किए गए आवंटन क्रमशः 3.63 करोड़ रूपए, 1 करोड़ रूपए और 2.60 करोड़ रूपए की तुलना में केवल 1.36 करोड़ रूपए, 0.34 करोड़ रूपए और 1.26 करोड़ रूपए ही उपयोग में लाए गए।

समिति इस योजना के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के बारे में मंत्रालय के लापरवाहीपूर्ण उत्तर से प्रसन्न नहीं है क्योंकि वर्ष 2016-17 में सामुदायिक रेडियो के लिए श्रवण निर्माण और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए केवल 8 और 2018-19 में 6 कार्यशालाएं आयोजित की गईं और अन्य नियोजित गतिविधियां जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किये जा सके और आवंटन अनुप्रयुक्त रह गया। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को गंभीरता से नहीं लिया गया है।

समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह इस योजना के अंतर्गत कार्यकलापों पर सही परिप्रेक्ष्य में गौर करे क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में, के विकास को बढ़ावा देने पर मंत्रालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति चाहती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान

नियोजित वास्तविक लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जाए और 3.80 करोड़ रूपयों की निधियों का इष्टतम उपयोग किया जाए।

सरकार का उत्तर

स्कीम के तहत नियोजित भौतिक लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन अगस्त, 2019 के महीने में किया गया था। अब, उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। सहायताअनुदान हेतु - आवंटित निधियों का समुचित उपयोग किया गया है। इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की गई थी। 8 सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाओं को आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। अब तक 06 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, शेष 2 कार्यशालाओं को मार्च, 2020 के महीने में आयोजित किया जाएगा। यह उम्मीद की जा रही है कि स्कीम के तहत निधियों का पूर्णतउपयोग : किया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुख्यतपूर्ण सीआर डार्क जिलों में और महत्व : र करने के लिए कई उपाय शनों की पहुंच का विस्ताजिलों में सामुदायिक रेडियो स्टे किए हैं। मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों सेप्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन</u>

(सिफारिश क्रम सं. 19)

समिति यह नोट कर खेद व्यक्त करती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालययोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रसार भारती की केन्द्रीय क्षेत्र की/ बजट प्रावधानों का पिछले दो वर्षों के दौरान कम उपयोग हुआ। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 60.63 करोड़ रूपए और 122.21 करोड़ रूपए के वित्तीय परिव्यय में से वास्तविक व्यय क्रमशः 52.02 करोड़ रूपए)85.79 प्रतिशतऔर (65.24 करोड़ रूपए)53.38 प्रतिशतरहा। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पर (उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि दिया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालयप्रसार भारती को पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की / कमियों को दूर करने के /में पेश आ रही कठिनाइयों विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन लिए प्रभावी और तत्काल उपाय करे ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके और जिससे वह मंत्रालयप्रसार भारती के जिम्मेदारीपूर्ण दृष्टिकोण के अभाव / सुनिश्चित करने के लिए के कारण स्वयं को विमुख और उपेक्षित न समझें। अतः यह बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय प्रसार भारती की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए/प्रसार भारती को 115.00 करोड़ रूपए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 47.65 करोड़ रूपए के बजट आवंटन का इष्टतम उपयोग हो सके।

सरकार का उत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यय के लिए 162.50 करोड़ रुके बजट अनुमान की तुलना . में वर्ष2019-20 के लिए संशोधित अनुमान 105.15 करोड़ रुतय किया गया था। . फरवरी, 2020 तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यय 88.41 करोड़ रुथा। प्रसार भारती ने . फरवरी) सूचित किया है कि, 2020 तक (60.39 करोड़ रुकी राशि पहले ही खर्च की . डीडी अरूणप्रभा चैनल में सामग्रीजा चुकी है। निधियों का काफी हिस्सासृजन के लिए किया गया है। पूर्वोत्तर में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अरूणाचल प्रदेश का नया फिल्म संस्थान और आईजॉल में आईआईएमसी केन्द्र के लिए नया परिसर शामिल है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफ), 2020 (28 जनवरी, से 3 फरवरी, 2020 तक आयोजितय को र घटक के तहत किए गए व्यके लिए पूर्वोत्त (भी बुक किया जा रहा है। गंगटोक, सिक्किम में 28 फरवरी से 1 मार्च, 2020 तक आयोजित वैश्विक सिनेमा समारोह, 2020 के लिए 15 लाख रुकी मंजूरी दी गई है। .

साथ ही मार्च, 2020 में सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशालाएं निर्धारित करने की भी योजना है। यह उम्मीद की जा रही है कि मंत्रालय पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग करने में सक्षम होगा।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

<u>राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम निष्पादन-का कार्य (एनएफडीसी)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 20)

समिति इस बात की प्रशंसा करती है कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान एनएफडीसी के कार्यनिष्पादन और इन वर्षों के दौरान इसके वास्तविक और - वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, यदि कोई हो तथा इसके कारणों के बारे में उसे सूचित किया गया।

सरकार का उत्तर

<u>राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का कार्यनिष्पादन</u>

क. विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण-

वर्ष	वित्तीय		वास्तविक		कमियों के कारण
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2017-18	24 करोड़ रु.	शून्य	शून्य	शून्य	एनएफडीसी को कोई धनराशि नहीं दी गई क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने एनएफडीसी के विलय प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।
2018-	21	8.45	5	2 फिल्में	प्रारंभ में एनएफडीसी ने पांच

19	करोड़ रु.	करोड़ रु.		निर्माणाधीन	फिल्मों अर्थात लाल माटी (मराठी), चमन बहार (हिंदी), केडी(तमिल) दुरईकरुप्पु-, लोनक (हिंदी), ए पेनफुल केस के निर्माण का (मलयालम) त किया था। बाद में व प्रस्तुप्रस्ता एनएफडीसी ने सूचित किया कि ''ए पेनफुल केस'' वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं है क्योंकि निर्देशक अपनी पहली फिल्म का निर्देशन कर चुका है। इसके अलावा एनएफडीसी ने बताया कि ''चमन बहार'' और केडी दुरई करुप्पु- को निर्माता से जैसी फिल्मों प्रतिक्रिया नहीं मिली है उपयुक्त के लिए और इसलिए इन फिल्मों कृत निधियों का उपयोग नहीं स्वी कियागया। एनएफडीसी ने केवल दो फिल्मों का निर्माण किया ''लाल माटी'' और ''लोनक'' जोकि निर्माणाधीन हैं।
2019-20	57 करोड़ रु**.	10 करोड़ रु.	5	1 फिल्म पूरी हुई 2 फिल्में निर्माणाधीन	एनएफडीसी को पांच फिल्मों नामतहू विल) कोरंगी नन्ची : (मैरी थॉमस, चाड द)रूफ(, जोसेफ की माचा (जोसफ सन), पेड पे कमरा (कांगड़ी), एक लाल कमीज के निर्माण के (ए रेड शर्ट) लिए निधि जारी की गई। इन के निर्माण के लिए पांच फिल्मों

					एनएफडीसी को3 करोड़ रुजारी . किए गए हैं। फिल्म ‘‘बंगबंधु’’ के निर्माण के लिए एनएफडीसी को 7 करोड़ रु जारी .किए गए हैं।

*** फिल्म ‘‘बंगबंधु’’ के लिए बजट को संशोधित करके 35.00 करोड़ रु से .70.00 करोड़ रु किया गया है इसलिए .40% भारतीय अंशदान को भी संशोधित करते हुए 19.00 करोड़ रु से बढ़ाकर .37.00 करोड़ रुजीएसटी और एनएफडीसी निर्माण) . किया गया और (सहितशुल्क20 करोड़ रु. ‘‘विभिन्न भारतीय फिल्मों का निर्माण’’ स्कीम के लिए रखा गया है। अत वर्ष :2019-20 के लिए कुल संशोधित अनुमान 57.00 करोड़ रु) .37.00 करोड़ रु. + 20.00=57.00 करोड़ रुहोगा। (.*

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

<u>ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 8)

समिति नोट करती है कि 2019-20 के दौरान, 187.40 करोड़ रूएआईआर .अ.का ब . में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु रखा गया है। समिति को बताया गया कि 'प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास' योजना को आगे 3 वर्षों)2017-20) के लिए विस्तार वित्तीय वर्ष 2018-19 के मध्य में दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 2018-19 के दौरान निधियों का कम उपयोग हुआ और इसलिए, वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटन में पिछले वर्ष की अपूर्ण परियोजनाओं को शामिल करने का भी प्रावधान है -: उच्च शक्ति एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर्स के कार्य में बड़े पैमाने पर तेजी लाना, एसआईटीसी का सर्वर्स और रेडियो स्टूडियो ऑटोमेशन, डिजिटल ऑडियो कॉलसोलस की खरीद, 5 टीवी ट्रांसमीटर्स की खरीद, 100 एम स्वसहायता टॉवरों को लगाना-, भारतनेपाल -सीमा के साथ एकदम ट्रांसमीटर हेतु भवन का निर्माण .सं)5), 47 स्टेशनों पर वीपीएन संपर्कता, बीएच दिल्ली के ऑडिटोरियम का नवीकरण और गुवाहाटी में लेखागार सुविधा का सृजन। समिति आशा करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालयसीमा के -प्रसार भारती के एआईआर सेवाओं में सुधार के लिए निश्चित समय/अंदर इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु समेकित प्रयास करेगा।

सरकार का उत्तर

विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति नीचे प्रस्तुत की गई है:

i. वर्ष 2019-20 की आवंटित धनराशि से 39 स्थानों पर मास्ट मज़बूत करने के कार्य किए जाने थे। 20 स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है और 16 अन्य स्थानों पर कार्य चल रहा है।

ii. स्टूडियो स्वचालन के लिए सर्वरों का आदेश दिया गया है। इन उपकरणों की डिलीवरी की अवधि 18 महीने है।

iii. 100 एम टावर्स की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया का कार्य विभिन्न स्थानों में लगभग अंतिम चरण में है।

iv. भारत नेपाल सीमा-परियोजनाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

v. ब्रॉडकास्टिंग हाउस, दिल्ली में ऑडिटोरियम का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2020 से पहले निधि को बुक किया जाएगा।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 14 देखें)

<u>फिल्म क्षेत्रः</u>

<u>राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 11)

विगत तीन वर्षों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म विंग के संबंध में वित्तीय लक्ष्यों में कमी के अनेक कारणों में से एक कारण एनएफएचएफ योजना का कार्यान्वयन न हो पाना बताया गया है। समिति पाती है कि योजना हेतु 2016-17,

2017-18 और 2018-19 के दौरान बक्रमशः .अ. 30 करोड़ रू., 50 करोड़ रूतथा . 57.78 करोड़ रूस्तर पर कम करके क्रमशः .अ.रखा गया। इसे सं . 16 करोड़ रू., 6.02 करोड़ और 15.00 करोड़ रूकर दिया गया और वास्तविक व्यय क्रमशः . 10.84 करोड़ रू., 6.02 करोड़ रूतथा . 10.51 करोड़ रूरहा। सूचना और प्रसारण . मंत्रालय की निधियों के कम उपयोग के संबंध में यह दलील कि 2017 में पूरी योजना को समीक्षा के अधीन रखा गया था और एनएफएच के अंतर्गत सभी निविदा प्रक्रियाओं को समीक्षा किए जाने तक रोका गया था, पर विश्वास नहीं किया जा सकता। समिति ऐसे मामलों में 2016-17 और 2018-19 में वित्तीय कमी के कारणों के बारे में अवगत होना चाहती है। समिति यह भी चाहती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय निधियों के बेहतर उपयोग के लिए वास्तविक अनुमान तैयार करे।

सरकार का उत्तर

एनएफएचएम स्कीम की शुरुआत में, यह मूल्यांकन किया गया था कि फिल्म रीलों की फिल्म दशा के आकलन, फिल्म रीलों के निवारक संरक्षण और फिल्म रीलों के डिजिटीकरण जैसे कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसियां 2016-17 के दौरान नियुक्त कर दी जाएंगी। तथापि, क्रियान्वयन एजेंसी 2016-17 के दौरान उचित प्रक्रिया के बाद 'फिल्म रीलों की फिल्म दशा का आकलन' के कार्य के लिए नियुक्त की जा सके, जबकि अन्य गतिविधियों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इससे संशोधित प्राक्कलन वर्ष 2016-17 के तहत आवंटित धनराशि का कम उपयोग हुआ।

2017 में पूरी स्कीम की समीक्षा के तहत रखा गया था और एनएफएचएम के तहत सभी निविदा प्रक्रियाओं को समीक्षा तक रोक दिया गया था। इसमें 'दशा मूल्यांकन' शामिल था जिसके लिए निष्पादन एजेंसी पहले से ही नियुक्त कर दी गई थी और जिसके लिए काम शुरू हो गया था। अन्य निविदाएं अर्थात फिल्मी सामग्री का डिजिटीकरण और जीर्णोद्धार, एनएफएआई में आईटी बुनियादी ढांचे का निर्माण, आदि, जो कि निविदा के विभिन्न चरणों में थे, भी रोक दी गई। इसके कारण 2017-18 और 2018-19 में धनराशि में कमी हुई।

'निवारक संरक्षण' के तहत कार्य 'संग्रह मूल्यांकन' के तहत काम पूरा होने पर ही शुरू हो सका। चूंकि समीक्षा के कारण संग्रह मूल्यांकन के तहत काम समय पर पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए निष्पादन एजेंसी के चयन के बावजूद निवारक संरक्षण के तहत काम समय पर शुरू नहीं किया जा सका, जिसके कारण 2018-19 में निधियों का कम उपयोग हुआ।

इसके अलावा, इस दौरान एनएफएआई में भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा विकास कार्य करने के लिए किसी एजेंसी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके कारण 2017-18 में और 2018-19 में संशोधित प्राक्कलन की कमी हुई।
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)

(सिफारिश क्रम सं. 12)

इसके अलावा, एनएफएचएम योजना के अंतर्गत 2019-20 में 22.48 करोड़ रू . का बजटीय प्रावधान किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, एनएफएचएम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यमान पद्धति के अनुसार कार्यकरण एजेंसियों की नियुक्ति हेतु उक्त मंत्रालय द्वारा विविध प्रक्रिया को गति देना सुनिश्चित किया जा रहा है। तथापि समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2019-20 के दौरान एनएफएचएम योजना हेतु आवंटित निधियों के उपयोग प्रयास करने में असफल रहा है और इसने वित्त मंत्रालय से संस्तर पर .अ. करने का .आवंटन कम करके पांच करोड़ रू प्रस्ताव किया है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के खराब कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। तथापि, समिति महसूस करती है कि योजना की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और मंत्रालय ने समय पर या विवेकपूर्ण कार्य नहीं किया है।

समिति यह भी चाहती है कि बजटीय कार्य गंभीरतापूर्वक किया जाए ताकि एनएफएचएम योजना बाधित न हो और निधि का समुचित उपयोग हो। समिति मंत्रालय से एनएचईएम योजना के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के कार्यान्वयन की दिशा का अनुरोध करती है।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी स्कीम को समीक्षाधीन रखा गया था और एनएफएचएम के तहत सभी निविदा प्रक्रियाओं को समीक्षा किए जाने तक रोक दिया गया था। इसमें ''स्थिति मूल्यांकन'' शामिल था जिसके लिए निष्पादन एजेंसी पहले से ही लगी थी और जिसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया था। अन्य निविदाएं अर्थात एनएफएआई में फिल्म सामग्री का निवारक संरक्षण, फिल्मी सामग्री का डिजिटलीकरण और बहाली, एनएफएआई में आईटी अवसंरचना का निर्माण आदि, जो निविदा के विभिन्न चरण में थे, रोक दिए गए।

'निवारक संरक्षण' के तहत काम केवल ''स्थिति मूल्यांकन'' के तहत काम पूरा होने पर शुरू हो सकता है। चूंकि समीक्षा के कारण स्थिति मूल्यांकन के तहत काम समय पर नहीं किया जा सका, इसलिए निष्पादन एजेंसी के चयन के बावजूद निवारक संरक्षण के तहत समय पर काम शुरू नहीं किया जा सका। अब, स्थिति मूल्यांकन के तहत काम शुरू हो गया है। स्थिति मूल्यांकन के वर्क आऊटपुट के आधार पर, निवारक संरक्षण के लिए चयनित एजेंसी संसाधन जुटाने और कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। साथ ही, अब भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए निष्पादन एजेंसी निर्धारित है और नियमित रूप से काम की समीक्षा करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं अर्थात 'फिल्म सामग्री का डिजिटलीकरण' फिल्म सामग्री की बहाली और 'आईटी समाधान' को गति देना सुनिश्चित किया जा रहा है जैसेकि निष्पादन एजेंसियां एनएफएचएम स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित

निधियों के उचित उपयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से लगी हुई है।

एनएफएचएम की तकनीकी समिति द्वारा बारंबार समीक्षाओं को आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए लगातार समीक्षाएं की जा रही है। उच्च स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही है जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की समीक्षा कर रही है। एनएफएचएम स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित निधियों के उचित उपयोग के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीक से निष्पादन एजेंसियों के अपाइंटमेंट के लिए विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं को गति देना सुनिश्चित किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान एनएफएचएम के लिए 22.48 करोड़ रुकी राशि . र पर घटाकरआवंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान स्त3.61 करोड़ रुकर . दिया गया। अंतिम अनुदान8.11 करोड़ रुनिर्धारित किया गया है और वर्तमान . ति के अनुसारस्थि5.40 करोड़ रुय किया गया है।व्य .
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय काज्ञ.ा-डब्ल्यू .सं.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 22 और 23 देखें)

<u>नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स में गेमिंग एंड कॉमिक्स (एनसीओई)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 13)

गत तीन वर्षों के दौरान फिल्म स्कंध के अंतर्गत कमी का अन्य क्षेत्र नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन, विजुअल एफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स की स्थापना के लिए परियोजना थी। समिति समझती है कि योजना (एनसीओई) आयोग ने एनसीओई को सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है जो कि 12वीं प्लान परियोजना है और यह सरकारीनिजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। मूल विचार परियोजना -

कार के साथ भागीदारी करने के लिए निजी कंपनियों को साथ लेना चलाने के लिए सर है। इसके अतिरिक्त, 167.70 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ एसीओई के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वर्ष 2016-17 से 2019-20 की चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी।

तथापि, समिति यह नोट करके निराश है कि वर्ष 2016-17 और 2018-19 के दौरान निधियों का कम उपयोग हुआ था और परियोजना के अंतर्गत 0.39 करोड़ और 1.63 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया था। मंत्रालय में एनसीओई के कार्यकलापों की समीक्षा के आधार पर योजना के लिए कम उपयोग बताया गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने दिनांक (कार्यकारी भागीदार) 03.02.2017 एनसीओई के लिए प्रचालन भागीदार के चयन हेतु आरएफसी जारी किया। लगभग तीन वर्षों के बाद मंत्रालय इस केन्द्र हेतु प्रचालन और अकादमिक भागीदार की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

समिति इन सभी वर्षों के दौरान एनसीओई परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। यह गंभीर चिंता की बात है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस परियोजना के निरीक्षण करने के लिए किसी समर्पित अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस संबंध में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करे। समिति का सुविचारित मत है कि एनीमेशन सेक्टर का देश में तेजी से विकास हो रहा है और बदलते परिदृश्य में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स मीडिया में उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियां हैं तो मंत्रालय को भारतीय उद्योग और वैश्विक कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भारत में विश्वस्तरीय प्रतिभावान व्यक्ति उपलब्ध - कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केन्द्र बनाने के अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु एनसीओई परियोजना के लिए प्रचालन और अकादमिक भागीदार तलाशने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। समिति आशा करती है कि मंत्रालय जल्द ही परियोजना हेतु प्रचालन और अकादमिक भागीदारों को तलाशने के लिए और एनसीओई परियोजना हेतु निर्धारित 20.50 करोड़ रूपए की निधि अप्रयुक्त नहीं रहने देने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करेगा।

सरकार का उत्तर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव एवं आर्थिक सलाहकार, अपर सचिव और संयुक्त सचिव को शामिलकर अगस्त (फिल्म), 2019 में एक समिति का गठन संस्थान की स्थापना के लिए प्रचालन भागीदार के चयन की निगरानी के लिए किया गया था। समिति ने देखा कि वर्ष 2017 में निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और जांच करने में काफी समय बीत चुका है। इस समय के दौरान, एवीजीसी क्षेत्र में बहुत से तकनीकी सुधार पाठ्यक्रम संशोधन, प्रस्तावित शुल्क में बदलाव आदि हुए हैं। समिति ने तदनुसार सुझाव दिया है कि एवीजीसी क्षेत्र के प्रमुख कार्यकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श से वर्ष-2017 से इस क्षेत्र में बदलाव पर विचार करना वांछनीय होगा। विचारविमर्श के बा-द यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान आरएसपी को समाप्त कर दिया जाए और प्रचालन भागीदार के चयन के लिए एक नए आरएफपी को तैयार किया जाए।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का.सं.ज्ञा. डब्ल्यू-11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 26 देखें)

<u>सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार</u>

(सिफारिश क्रम सं. 14)

समिति नोट करती है कि गत तीन वर्षों के दौरान 'सीबीएफसी के उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार' योजना के लिए निधियों का कम उपयोग हुआ है। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 3.51 करोड़ रूपए, 2.50 करोड़ रूपए और 1.30 करोड़ रूपए के संके स्थान पर .अ. 3.09 करोड़ रूपए, 1.49 करोड़ रूपए और 0.94 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट का कारण योजना के अनुसार डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल

थिएटरों के प्रापणसंस्थापन हेतु सीबीएफसी कार्यालय में स्थान की कमी बताया गया / है जिस पर विश्वास नहीं होता।

समिति आगे यह नोट करके खेद है कि संभावित व्यय के मद्देनजर मंत्रालय ने अब वर्ष 2019-20 के 2.50 करोड़ रूपए के बजट अनुमान को घटाकर संशोधित अनुमान स्तर पर 1.30 करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव किया है। स्पष्ट है कि मंत्रालय लगातार चौथे वर्ष में सीबीएफसी कार्यालय में स्थान की कमी जैसी छोटी सी समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढ़ने में असफल रही है ताकि सीबीएफसी योजना के अनुसार डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टमडिजिटल थिएटरो-ं का प्रापण और संस्थापन कर सके। समिति मंत्रालय द्वारा अपनी इस योजना के कार्यान्वयन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती है। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि फिल्म प्रमाणन के व्यापक मुद्दे पर बेनेगल समिति की सिफारिशों की समीक्षा की जाए और बिना विलंब के उस पर कार्रवाई की जाए।

सरकार का उत्तर

सीबीएफसी कार्यालय में स्थान की कमी थी जिसके कारण सीबीएफसी योजना के अनुसार डिजिटल प्रोजेक्शन प्रणाली और डिजिटल थियेटरों का प्रापणपन संस्था/ नहीं किया जा सका, इसलिए उक्त उद्देश्यों के लिए आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका जिसके कारण वित्तीय लक्ष्यों में कमी आई।

सीबीएफसी के कार्यों का निरंतर फ्लोअप किया जा रहा है जिससे कि योजना के अनुसार कार्यों को पूरा किया जा सके। आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक अनुमोदन भी लिया जा रहा है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 29 और 30 देखें)

<u>विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण</u>

(सिफारिश क्रम सं. 16)

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित निधि के कम उपयोग हेतु जो कारण बताया गया है जैसे कि बांग्लादेश के साथ दृश्यनिर्माण -श्रव्य सह-समझौते में 'बंगबंधु' फिल्म के निर्माण हेतु फिल्म निर्माता निधि निर्धारित की गई थी और यह कि यह फिल्म प्रसिद्ध निर्माता श्री श्याम बेनेगल के निर्देशन में अनुसंधान और पटकथा लेखन स्तर पर थी। समिति को स्वीकार्य नहीं है। समिति जानना चाहती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान बंगबंधु फिल्म के निर्माण हेतु 14 करोड़ रूपए का पहला आवंटन क्यों किया गया था जब यह अनुसंधान और पटकथा लेखन चरण में थी। समिति चाहती है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय मंत्रालय को बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

यह उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म 'बंगबंधु' के लिए शोध और पटकथा वर्ष 2017-18 की पहली छमाही के दौरान पूरी कर ली जाएगी और निर्माण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए वर्ष 2017-18 के दौरान फिल्म के निर्माण के लिए 14.00 करोड़ रुकी निधि आवंटित की गई थी। .

''बंगबंधु'' फिल्म के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एफडीसी) विकास निगमऔर फिल्म (एनएफडीसी), बांगलादेश के बीच में दिनांक 14.01.2020 को एक सह के लिए क्षरित किया गया था। फिल्महस्ता निर्माण करार-पटकथा को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और मार्च, 2020 में शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। यह उम्मीद की जा रही है कि मार्च, 2021 तक फिल्म पूरी हो जाएगी।

वर्तमान स्थिति के अनुसार फिल्म निर्माण हेतु 8.50 करोड़ रुराशि की कुल . जारी की गई है।

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय का-डब्ल्यू .सं.ज्ञा.11/33/2019-पीसी सेल दिनांक 09.03.2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 33, 34 और 35 देखें)

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है

-शून्य-

नई दिल्ली;
04 फरवरी, 2021
15 माघ, 1942 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

<u>अनुबंध - एक</u>

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 16 अक्तूबर, 2020 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 16 अक्तूबर, 2020 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
3. श्री संतोष पान्डेय
4. श्री संजय सेठ
5. श्री तेजस्वी सूर्या
6. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

7. डॉ. अनिल अग्रवाल
8. श्री वाई. एस. चौधरी
9. श्री सैयद जफर इस्लाम
10. श्री नबाम रेबिआ

सचिवालय

1. श्री वाई.एम.कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
3. श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक
4. श्री शांगरीसो जिमिक	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने अनुदानों की मांगों(2019-20) के संबंध में चार प्रारूप की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकार करने के लिए.....xxxx.....xxxxx.....आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. इसके पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया :-

(एक) .....xxxx.....xxxxx..... ;

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगें (2019-20) के संबंध में प्रारूप की गई कार्यवाही प्रतिवेदन ;

(तीन) .....xxxx.....xxxxx.....;

(चार) .....xxxx.....xxxxx.....

4. समुचित विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने उक्त प्रतिवेदन कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया है।

5. इसके पश्चात् सभापति ने मंत्रालय/विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन से उत्पन्न परिवर्तन, यदि कोई हैं, को शामिल करते हुए प्रारुप प्रतिवेदनों को अंतिम रुप देने एवं उक्त प्रतिवेदनों को संसद के आगामी सत्र के दौरान प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

(.....xxxx.....xxxxx.....)

6. .....xxxx.....xxxxx.....

7. .....xxxx.....xxxxx.....

8. .....xxxx.....xxxxx.....

9. .....xxxx.....xxxxx.....

10. .....xxxx.....xxxxx.....

.....xxxx.....xxxxx.....

बैठक की कार्यवाही की शब्दशप्रति रिकार्ड में रखी गई। :

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

XXXXX मामले प्रतिवेदन से संबन्धित नहीं हैं।

अनुबंध-दो

दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

(सत्रहवीं लोक सभा)

(प्राक्कथन का पैरा सं. 5 देखें)

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है
सिफारिश क्रम सं.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19 और 20

कुल- 14
प्रतिशत 70

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
सिफारिश क्रम सं.शून्य :

कुल- शून्य
प्रतिशत 0.00

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है
सिफारिश क्रम सं.: 8, 11, 12, 13, 14 और 16

कुल-0 6
प्रतिशत 30

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है
सिफारिश क्रम सं.शून्य :

कुल- शून्य
प्रतिशत 0.00